खण्ड–20, अंक–3
शुक्रवार, 02 अग्रहायण, शक संवत्, 1929
(23 नवम्बर, 2007 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2007)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 20 में 4 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–42
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं...	42
जनपद टिहरी में टिहरी बाँध जलाशय में फेरी बोट से गिरकर कु0 रितु रावत की असामयिक मौत के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	42–43
उत्तर प्रदेश में कार्यरत उत्तराखण्ड राज्य के विकल्पधारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड में समायोजित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर/बजाक में जल स्तर की कमी तथा सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत बिन्ता तथा मॉसी में आई0टी0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	44
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)	45
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	45
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	45
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड–घनसाली के ग्राम–सौंप–आर्स–नैक्वाड़ा–चुरैना–चामी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	45
जनपद हरिद्वार के ग्राम–शिकोपुर गाँव में सोलानी नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)... ...	45
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	46

विषय	पृष्ठ संख्या

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के बस स्टैण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ... 46

श्री तिलक राज बेहड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा इन्सपैक्टर श्री अजय ध्यानी एवं एस0ओ0जी0 प्रभारी श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना 46–61

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 62

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) 62–63

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं... 63–92

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदानः

अनुदान संख्या–01–विधान सभा, अनुदान संख्या–03–मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–04–न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05–निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं विभाग, अनुदान संख्या–08–आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–10–पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–14–सूचना विभाग, अनुदान संख्या–15–कल्याण योजनायें विभाग, अनुदान संख्या–17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–18–सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–19–ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–21–ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या–22–लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–23–उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24–परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–25–खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–26–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–27–वन विभाग, अनुदान संख्या–28–पशुपालन विभाग, अनुदान संख्या–29–औद्यानिक विकास विभाग, अनुदान संख्या–30–अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग (स्वीकृत) 93–103

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड विनियोग (2007–08 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित एवं पारित)	103–107
जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनपुर बावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी) ...	107
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	107–108
नत्थी	109

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. मिस कैरन हिल्टन
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. " केदार सिंह रावत
10. " खजान दास
11. " खड़क सिंह बोहरा
12. " गगन सिंह
13. " गणेश जोशी
14. " गोपाल सिंह
15. " गोपाल सिंह रावत
16. " गोविन्द लाल
17. " गोविन्द सिंह कुँजवाल
18. " गोविन्द सिंह बिष्ट
19. " चन्दन राम दास
20. " जोगा राम टम्टा
21. " जोत सिंह गुनसोला
22. हाजी तस्लीम अहमद
23. श्री तिलक राज बेहड़
24. " दिनेश अग्रवाल
25. " दिवाकर भट्ट
26. " दिवान सिंह
27. " नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. " प्रकाश पन्त
31. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. " प्रेम चन्द अग्रवाल
34. " प्रेमानन्द महाजन
35. " बलवन्त सिंह भौर्याल
36. " बलवीर सिंह नेगी
37. " बिशन सिंह चुफाल
38. " बृज मोहन कोटवाल
39. " भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
40. " मदन कौशिक
41. " मनोज तिवारी
42. " मयूख सिंह
43. " महेन्द्र सिंह माहरा 'महूँ भाई'
44. " मातबर सिंह कण्डारी
45. " मुन्ना सिंह चौहान
46. " यशपाल बेनाम
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री रणजीत रावत
49. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
50. श्री राजकुमार
51. " राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54. श्रीमती वीना महराना
55. श्री शहजाद
56. " शैलेन्द्र सिंह रावत
57. " सुरेन्द्र राकेश
58. " सुरेन्द्र सिंह जीना
59. डा0 हरक सिंह रावत
60. श्री हरिदास
61. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनाँक 23 नवम्बर, 2007 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

कतिपय विषयों को नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

(माननीय अध्यक्ष जी के सदन में आने पर बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल एवं अन्य माननीय सदस्यों की प्राप्त हुई है। जो प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों को मूल व जाति प्रमाण–पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। जो प्रदेश में भूमि के सर्किल रेट में वृद्धि के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। जो प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं, उद्योगों, शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। जो उत्तराखण्ड में सर्किल रेट में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना माननीय सदस्य श्री तस्लीम अहमद एवं अन्य माननीय सदस्यों की है। जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवास व जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में है। छठी सूचना माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन तथा अन्य माननीय सदस्य की है। जो प्रदेश के गन्ना किसानों के अवशेष भुगतानों के सम्बन्ध में है। श्री दिनेश अग्रवाल तथा अन्य माननीय सदस्यों एवं श्री तस्लीम अहमद तथा अन्य माननीय सदस्यों की सूचना का विषय एक ही है इसके अतिरिक्त डा0 हरक सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों और श्री नारायण पाल तथा अन्य माननीय सदस्यों की सूचना का विषय भी समान है। मैं नियम–310 की इन चार सूचनाओं को नियम–58 में आज ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये।)

*चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, इससे तो नियम–310 का औचित्य ही कम हो जायेगा। आज नियम–310 के अन्तर्गत भी हमारी सूचनाएँ हैं और नियम–58 के अन्तर्गत भी हमारी दो सूचनाएँ हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह आगे परिपाटी नहीं बनेगी, चूँकि दो दिन से प्रश्नकाल नहीं चल रहा है और आज भी 20 प्रश्न लगे हुए हैं। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी नियम–58 की एक सूचना मैं सुन लूँगा।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हमारी गन्ना किसानों से सम्बन्धित सूचना भी लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैं नियम–58 के अन्तर्गत सुनूँगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश में खेल नीति लागू करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मान

**1. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि 'खेल नीति' तैयार हो जाने के पश्चात् अभी तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

क्या यह सत्य है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को यथोचित सम्मान, आर्थिक पारितोषिक एवं नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में खेल नीति को अतिशीघ्र लागू कर खिलाड़ियों को सम्मान देने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

खेल मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

राज्य के लिए प्रथम खेल नीति 2006 घोषित एवं क्रियान्वित की जा चुकी है।

जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों को समय–समय पर सम्मानित किया जाता रहा है, एवं राज्य की प्रथम खेल नीति के अनुरूप सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपर्युक्त के दृष्टिगत इसका अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सदन के पटल पर मिथ्या सूचना दी गयी है। मान्यवर, जो चार प्रतिशत आरक्षण की सूचना सदन को दी गयी है, वह मात्र पुलिस सेवा में दी जा रही है, अन्य सेवाओं में नहीं दी जा रही है। यदि दी जा रही है तो इसका प्रमाण–पत्र दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मान्यवर, जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें तीन लाख रुपये, एक गोल्ड मेडल तथा जिन खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीते हैं, उनको डेढ़ लाख रुपया दिया है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यहाँ भी राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, 4 प्रतिशत आरक्षण वाले प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पुलिस विभाग में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शिक्षा विभाग एवं अन्य सभी विभागों में भी हमने लिख दिया है। जल्दी ही उनमें भी 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसका ब्यौरा मिल जाएगा?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ब्यौरा बाद में भिजवा देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रीतम सिंह–

मननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 4 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद से सूबे में कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पूरा ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है कि अभी तक कितने लोगों को दिया गया है। मेरे पास एक मात्र सूचना है कि पुलिस विभाग में निश्चित रूप से आरक्षण दिया गया है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवध ान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, सरकार तैयारी करके नहीं आयी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न का हिस्सा है। उत्तर में लिखा है "4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।" मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी तक कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में इसका लाभ मिला है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कितने लोगों को आरक्षण दिया गया है, इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कुल कितने खिलाड़ियों को नौकरी मिली है, इनकी संख्या तो बता दीजिए। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, उत्तर में लिखा है "प्रथम खेल नीति के अनुरूप सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।" मान्यवर, अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो वह बाद में दे दी जाएगी।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा कि पुलिस विभाग में आरक्षण दिया गया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विस्तृत सूचना बाद में दे देंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आरक्षण लागू किया गया है या नहीं?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पुलिस विभाग में लागू किया गया है। अब अन्य विभागों में भी लागू किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम यह जानना चाह रहे हैं कि कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास सूचना हो तो दे दीजिए।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कितने लोगों को आरक्षण दिया गया है, इसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यही नहीं पता है कि कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। (व्यवधान) अगर कक्ष में ही पूछना होता तो यहाँ पर प्रश्न क्यों लगाते?

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछें, सभी एक साथ खड़े हो गये हैं। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया पूरी बात आने दीजिये, माननीय निशंक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछा गया कि "नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है"? उसका उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप में दिया गया कि "नियमानुसार 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।" मान्यवर, इसका उत्तर तो आ गया है।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछा गया कि कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ मिला है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूँ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

कृषि निदेशालय का संचालन

**2.श्री यशपाल बेनाम–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शा0सं0–1165, दिनांक 4 अगस्त, 2005 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि कृषि निदेशालय, देहरादून से संचालित करने का निर्णय लिया जा चुका है?

क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या–1165, दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा अग्रिम आदेशों तक ही पौड़ी के स्थान पर देहरादून से कृषि निदेशालय संचालित किये जाने का निर्णय हुआ है?

क्या मंत्री जी उक्त शासनादेश की प्रति पटल पर रखते हुए यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय, देहरादून से संचालित करने का निर्णय किस आधार एवं स्तर पर लिया गया है?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

हाँ।

हाँ।

उक्त शासनादेश सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्णय का स्तर–

तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी।

निर्णय का आधार–

1. शासन एवं निदेशालय के मध्य दैनन्दिन व्यवहार के कारण एवं राज्य बनने के पश्चात् से ही निदेशालय का कार्य देहरादून से संचालित होने के कारण कृषि निदेशालय का स्थान राजधानी में होना चाहिए।

2. पौड़ी के जनपदीय कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिये मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी सक्षम हैं। ज्ञातव्य है कि सभी जनपदों के मुख्य कृषि अधिकारी का पद अब प्रथम श्रेणी का कर दिया गया है, जिसके अधीन कृषि सम्बन्धी सभी शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अपर निदेशक, कृषि का कार्यालय भी पौड़ी में स्थापित है जो मण्डल के जनपदों के मध्य समन्वय स्थापित करता है तथा जो समस्याऐं जनपद स्तर से निर्णित नहीं हो पाती हैं, उनका समाधान करता है।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ सं0 109 पर)

*श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है कि शासन और निदेशालय के बीच तारतम्य बनाये रखने के लिए देहरादून में ही निदेशालय का स्थान होना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछता हूँ कि यह उनका अपना निर्णय है या इसमें सरकार ने कोई निर्णय लिया है। जब 21 निदेशालय राजधानी से बाहर संचालित हो रहे हैं तो फिर पौड़ी के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था कि निदेशालय पौड़ी में होना चाहिए और माननीय निशंक जी जिन्होंने बाबा मोहन उत्तराखण्डी को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया आप अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, जब 21 निदेशालय राजधानी के बाहर चल रहे हैं तो पौड़ी के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, आज उसे पौड़ी से संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य नें जो प्रश्न पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ कि 26–07–2001 को कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि निदेशालय देहरादून में रखा जाय। दिनाँक 09–08–2001 को निदेशालय के बारे में पुनः निर्णय लिया गया कि इसे पौड़ी में रखा जाय तथा दिनाँक 23–07–2003 को निर्णय लिया गया कि इसका मण्डलीय कार्यालय, जो स्थानान्तरित कर दिया गया था, वह पौड़ी में ही रहेगा और निदेशालय देहरादून में रहेगा, यह दिनाँक 23–07–2003 को तत्कालीन कैबिनेट ने निर्णय लिया था। इसका कारण यह भी रहा कि पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक रिट की गई थी और वहाँ के कर्मचारियों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई थी, उसके कारण भी उस समय यह निर्णय लिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 23–07–2005 को अग्रिम आदेशों तक निदेशालय को देहरादून में ही रखे जाने के आदेश भी दिये गये थे। इसका कारण था कि उस समय मुकदमे चल रहे थे और जब माननीय उच्च न्यायालय ने उन मुकदमों को स्वीकार योग्य नहीं समझा तो निर्णय हुआ कि निदेशालय देहरादून में ही रहेगा।

जहाँ तक समन्वय की बात है तो कृषि विभाग कई विभागों की शीर्ष संस्था है तथा नोडल एजेंसी है। उद्यान, सहकारिता, जलागम, पशुपालन, डेयरी, गन्ना और मत्स्य, इन विभागों की नोडल एजेंसी कृषि विभाग है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके संचालन का उत्तरदायित्व भी कृषि विभाग का है।

मान्यवर, इसके अलावा जलागम का है, कृषि नीति योजना है, राज्य कृषि योजना, जिला कृषि योजना, फूड सिक्योरिटी मिशन का दायित्व कृषि विभाग के ऊपर है। इस कारण मुख्यालय देहरादून में रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, शासन द्वारा निर्णय लिया गया है या माननीय मंत्री जी का अपना निर्णय है? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि अग्रिम आदेशों तक, तो मैंने बताया कि यह इस कारण से हुआ। माननीय उच्च न्यायालय में पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी इसलिए वह अग्रिम आदेशों तक किया गया था और जब हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, इस प्रदेश का निर्माण इसलिए हुआ था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था और पूरे आन्दोलनकारी और पूरे उत्तराखण्ड की जनता की जनभावना थी कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पर आएं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसके दूरस्थ क्षेत्रों का विकास हो, जो राज्य बनने के बाद (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अनुपूरक पूछें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राज्य बनने के बाद विभिन्न निदेशालय प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये गये। तकनीकी शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में, समाज कल्याण का निदेशालय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उद्यान निदेशालय रानीखेत में खोला गया। क्या सरकार गढ़वाल की उपेक्षा करना चाहती है? पौड़ी जो गढ़वाल का मुख्यालय है जो जनभावना (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की पौड़ी में कृषि निदेशालय स्थापित करने की मंशा नहीं है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ तत्कालीन कृषि मंत्री जी के आदेश को इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूँ। माननीय मंत्रिपरिषद् की दिनाँक 30–07–2003 की बैठक में कृषि विभाग के संशोधित पुनर्गठन प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया था कि गढ़वाल मण्डल के कार्यों को निस्तारित करने हेतु पौड़ी में अपर निदेशक कार्यालय को यथावत रखा जाये। तद्नुसार मण्डलीय कार्यालय वहाँ कार्य कर रहा है। कार्यालय को सुदृढ़ करते हुए पुनर्गठन प्रस्ताव में पूर्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकृत पद 31 के विरुद्ध 40 पदों की स्वीकृति की गयी है। उक्त बैठक में माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा कृषि निदेशक के मुख्यालय के सम्बन्ध में अलग से आदेश लेने का निर्णय लिया गया। जनहित याचिका में भी कृषि निदेशालय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। केन्द्र एवं प्रदेश शासन द्वारा कृषि को अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मानते हुये सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु शासन एवं निदेशालय (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या सरकार की मंशा पौड़ी में कृषि निदेशालय स्थापित करने की है या नहीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप बात जारी रखें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने अग्रिम आदेशों तक के लिए किया था। (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, जब नेता प्रतिपक्ष कण्डारी जी थे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, मैं आपको बोलने का समय दूँगा।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहें तो मैं बता दूँ। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि एक शासनादेश था, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि अग्रिम आदेशों तक यह निदेशालय देहरादून में रहेगा। यह शासनादेश 4 अगस्त, 2005 का है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह नहीं था कि वहाँ बिल्कुल नहीं जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री पिछली सरकार की कार्यवाही को पढ़ कर सुना रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह कार्यवाही नहीं है यह तो शासनादेश है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम जानना चाहते हैं कि कृषि निदेशालय को पौड़ी में स्थापित करेंगे और कब तक करेंगे?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके बारे में बाद में निर्णय लिया जायेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रश्न इतना है कि स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूर्व सरकार का उल्लेख किया है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, आप कृपया अनुपूरक पूछें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूर्व कृषि मंत्री जी का उल्लेख किया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

माननीय नेता प्रतिपक्ष भी यह चाहते थे कि निदेशालय पौड़ी जाये और स्वास्थ्य मंत्री जी की भी यही इच्छा थी। उसके बाद तय यह हुआ कि निदेशालय यहीं होना चाहिए। इसके लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष भी मान गये थे और स्वास्थ्य मंत्री भी मान गये थे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि कृषि निदेशालय पौड़ी में खुलेगा? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बेनाम जी, यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है कि क्या सरकार कृषि निदेशालय पौड़ी में खोलने पर विचार कर रही है? (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) सरकार की तरफ से इसका गोल–मोल जवाब दिया जा रहा है। इसलिए मैं और मेरा दल इसका विरोध करता है।

(नेता प्रतिपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, पूर्व में 04 अगस्त, 2005 द्वारा अग्रिम आदेशों तक ही पौड़ी के स्थान पर देहरादून से कृषि निदेशालय संचालित किये जाने की बात कही गई थी। उस वक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो अब सरकार में मंत्री जी द्वारा कुछ कतिपय शरारती तत्वों द्वारा अड़चन डाले जाने की बात कही गई थी। अब तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और यह उनकी जिम्मेदारी भी है। मान्यवर, बहुत ही गम्भीर समस्या है। जब पौड़ी में, पौड़ी बचाओ आन्दोलन चल रहा था तो भी इस सम्बन्ध में काफी प्रखर आन्दोलन हुआ था। माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है कि पौड़ी में कृषि निदेशालय स्थापित होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जवाब आ गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के माननीय सदस्य सदन में वापस आ गये।)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, जवाब नहीं आया है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर रही है, पौड़ी में कृषि निदेशालय स्थापित होगा या नहीं? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बारे में अभी कोई विचार प्रचलन में नहीं है।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे पौड़ी का सवाल है। आज सरकार द्वारा पौड़ी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, पूर्व में 04 अगस्त, 2005 द्वारा अग्रिम आदेशों तक ही पौड़ी के स्थान पर देहरादून से कृषि निदेशालय संचालित किये जाने की बात कही गई थी। तो क्या पौड़ी में कृषि निदेशालय खोला जायेगा या नहीं? मेरा तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। हाँ या ना। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अवगत करा तो दिया है कि अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बारे में अभी कोई विचार प्रचलन में नहीं है, लेकिन व्यापक जनहित में इस पर विचार किया जा सकता है।

मान्यवर, जो विषय माननीय सदस्य ने यहाँ पर उठाया यह जनहित में है इसलिए इस प्रकरण पर विचार किया जायेगा। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह कब तक इस पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी द्वारा इस प्रकरण पर उत्तर दे दिया है।

तारांकित प्रश्न

वर्ष 2006–07 में चीनी मिलों को दिये गये गन्ने के मूल्य का अद्यतन भुगतान

*1. श्री नारायण पाल–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गन्ना किसानों को उनके द्वारा गत वर्ष 2006–07 में प्रदेश की चीनी मिलों को दिये गये गन्ने के मूल्य का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं तो क्यों?

शिक्षा एवं गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी नहीं।

निजी क्षेत्र की 4 चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाना।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2006–07 में किसानों को गन्ने के मूल्य का कितना भुगतान किया गया?

* श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दिनाँक 20–11–2007 तक की स्थिति के अनुसार राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य 70671.88 लाख रु0 के सापेक्ष 66509.94 लाख रु0 गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है और 4161.94 लाख रु0 गन्ना मूल्य अवशेष है, जो कुल गन्ना मूल्य का 6 प्रतिशत है। मान्यवर, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कुल 4161.94 लाख रु0 भुगतान हेतु अवशेष है, जिसमें से काशीपुर चीनी मिल पर 2109.94 लाख रु0, उत्तम शुगर मिल पर 889.94 लाख रु0, इकबालपुर चीनी मिल पर 362.07 लाख रु0 तथा लक्सर चीनी मिल पर 800.36 लाख रु0 वर्तमान में बकाया हैं इस प्रकार कुल गन्ना मूल्य का 6 प्रतिशत बकाया रहा है, जिसमें 94 प्रतिशत गन्ने मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि चार मिलों पर गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है, जो कि सहकारी चीनी मिलें हैं। मान्यवर, राज्य की 10 चीनी मिलें हैं,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन सभी चीनी मिलों का भुगतान एक साथ होना चाहिए था लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, सरकार द्वारा प्राइवेट चीनी मिलों के साथ इस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, जबकि ये चीनी मिलें भी फायदे में हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब तक इनका बकाया भुगतान किया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, राज्य की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का कुल बकाया भुगतान मात्र 6 प्रतिशत शेष है, जबकि हम 94 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं, यह सरकार की उपलब्धि है। जबकि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं हो पाया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश की बात सदन में कह रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या मतलब?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा कहना है कि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है। पहले निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को केन्द्र सरकार द्वारा 43 करोड़ रुपया दिया गया था। जो चार प्रतिशत पर सॉफ्ट लोन के रूप में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को दिया गया था। पुनः केन्द्र सरकार को लिखा गया है कि प्रत्येक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को भी सॉफ्ट लोन दें। इसके लिये केन्द्र सरकार से लगातार सम्पर्क किया गया है। सचिव स्तर की बैठक दिल्ली में हुई है। मान्यवर, केन्द्र सरकार से लगातार पत्र व्यवहार चल रहा है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने उत्तरांचल को पैसा दिया ही नहीं। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हम सरकार से जवाब चाहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल को एक पैसा नहीं दिया है।

*श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो समितियों का पैसा बाकी है उसको क्या सरकार दे रही है और अगर दे रही है तो कब तक? क्या वह पैसा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके अनुसार भुगतान करेगी 15 रु0 कम करके या फिर रु0 132 रु0 के हिसाब से देगी? (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पर्ची की जरूरत नहीं है सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि हम उत्तर प्रदेश से 2 रु0 बढ़ाकर गन्ने का भुगतान करेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वक्तव्य की कापी मंगा ली जाए उसमें रु0 132 का जिक्र किया है। मान्यवर, हमारी पूरी बात का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, क्या सरकार रु0 132 के हिसाब से गन्ने का भुगतान करेगी? यानि कि उसमें 2 रु0 बढ़ाकर देगी या फिर जो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट का निर्णय आया है कि 15 रु0 कम करके उसमें 2 रु0 बढ़ाकर गन्ने का भुगतान करेगी या फिर जो 132 रु0 के हिसाब से गन्ने का भुगतान करेगी?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि 125 रु0 दिया जायेगा उसमें 2 रु0 बढ़ाकर यानि रु0 127 के हिसाब से हमारी सरकार गन्ने का भुगतान करेगी। वर्तमान में इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार कब तक भुगतान करेगी और जो समितियों का अंश बाकी है जोकि लगभग 4 करोड़ है, उसका भुगतान करेगी? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में राज्य बड़े गम्भीर संकट में है। केन्द्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है। जब माननीय सदस्य बात ही नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, समिति के अंश का कितना पैसा बकाया है और उसको कब तक दिया जायेगा? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, काशीपुर चीनी मिल के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी है और उसकी आर0सी0 जारी कर दी है। मान्यवर, मिलों के प्रबन्धकों के साथ लगातार

बैठक जारी है। दीपावली के पूर्व बैठक हुई थी, उन्होंने वायदा किया था कि काशीपुर को छोड़कर इकबालपुर ने लगभग 2 करोड़, लक्सर ने लगभग 5 करोड़ 40 लाख और उत्तम चीनी मिल ने लगभग 1 करोड़ 4 लाख का भुगतान किया है। मान्यवर, सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और सरकार की मंशा है और जल्द ही बकाया भुगतान हो जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कब तक सरकार करेगी और उनका कितना बकाया है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जितना समितियों का बकाया है वह यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि सहकारी और सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में क्या कृषकों का भुगतान बकाया है, दूसरा जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उसमें जो बकाया है उसमें बकाया भुगतान के लिए या भुगतान में देरी के लिए क्या कोई विधिक कार्य सरकार द्वारा उन चीनी मिलों के खिलाफ किया जायेगा और बकाया अवधि का ब्याज किसानों को दिलाने का कोई प्राविधान है?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जहाँ तक सहकारी को–ऑपरेटिव के मिल हैं तो उनका कोई भुगतान शेष नहीं है, भुगतान कर दिया है। चार चीनी मिलों में से एक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी है और भुगतान कर दिया गया है और जो 6 प्रतिशत बकाया है वह यथाशीघ्र कराया जायेगा। मान्यवर, ब्याज देने की प्रथा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसको यथाशीघ्र देखेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में स्थापित जितनी चीनी मिलें हैं उन्होंने पेराई सत्र शुरू कर दिया है, यदि कर दिया है तो कितनी मिलों ने कर दिया है और जिन्होंने नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह छोटा विषय इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह छोटी बात नहीं है, यह किसानों का मामला है, यह मजाक का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर तो सुन लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो निगम और को-ऑपरेटिव क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उन्हें 30 तारीख तक चला दिया जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, किस महीने की 30 तारीख तक चलाया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसी महीने की 30 तारीख तक चला दिया जायेगा। बाकी चार मिलों से वार्ता जारी है, जल्द ही उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वे भी इसी माह से चलने लगेंगी।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि चीनी मिल के बन्द होने के 15 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाना चाहिए? यदि यह प्राविधान है कि ब्याज भी दिया जायेगा तो क्या यह दिया गया है?

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस दिन से मिल चलेगी उसी दिन पर्चियों पर रेट लिखा जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश से दो रुपया प्रति कुन्तल अधिक देंगे। हमने गन्ने का रेट 127 और 132 रु0 प्रति कुन्तल डिक्लेयर किया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह

रेट 125 और 130 रु0 प्रति कुन्तल है। आज स्थिति यह है कि हम जो भुगतान करेंगे वह उत्तर प्रदेश की तुलना में दो रुपया प्रति कुन्तल अधिक करेंगे।

राँसी स्टेडियम (पौड़ी) को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने हेतु सरकार की नीति

*2. श्री यशपाल बेनाम–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि पौड़ी में स्थित राँसी स्टेडियम एशिया में ऊँचाई के हिसाब से दूसरे नम्बर पर स्थित है?

यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राँसी स्टेडियम की ऊँचाई के सम्बन्ध में यद्यपि कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि सूचना के अनुसार उक्त स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनाँक 5–7–2002 से राँसी में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु कुल 35.37 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें से केन्द्र सरकार से रुपये 26.52 लाख केन्द्रीय राशि स्वीकृत हुई, उसमें से अब तक 20.00 लाख रुपये की धनराशि केन्द्र सरकार से निर्माण इकाई समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 पौड़ी को अवमुक्त हो चुकी है। उक्त स्टेडियम को अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि राँसी स्टेडियम की ऊँचाई के सम्बन्ध में यद्यपि कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, यहाँ पर पूर्व में भारतीय हाकी टीम द्वारा प्रैक्टिस की मंशा जाहिर की गयी थी, लेकिन फील्ड का निर्माण ठीक न होने से भारतीय हाकी टीम द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की जा सकी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए केन्द्र सरकार ने धन दिया है तो राज्य सरकार भी इसके लिए धन की व्यवस्था करेगी और इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने पर विचार करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

*3. श्री नारायण पाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खेलों एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश/प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों यथा महेन्द्र सिंह धोनी, जसपाल राणा, अभिनव बिन्द्रा एवं सुषमा सिंह जैसे खिलाड़ियों को सरकार पुरस्कृत किये जाने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त विशिष्ट खिलाड़ियों को समय–समय पर सम्मानित किया जा रहा है। जसपाल राणा, अभिनव बिन्द्रा एवं सुषमा सिंह को पूर्व में ही सम्मानित/पुरस्कृत भी किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें मैंने पूछा था कि श्री महेन्द्र सिंह धोनी, श्री जसपाल राणा, श्री अभिनव बिन्द्रा एवं सुषमा सिंह जैसे खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या इनको सरकार पुरस्कृत किये जाने के लिए कोई योजना बना रही है?

श्री अध्यक्ष–

कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें श्री महेन्द्र सिंह धोनी का नाम नहीं है, जो मैंने पूछा उसमें उसका नाम ही नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने केवल तीन नाम लिये हैं, जबकि उत्तराखण्ड में बहुत सारे अन्तर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोगों ने अच्छी परफारमेन्स दी है।

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि इनमें से किस–किस को इन्होंने आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया है, सम्मानित किया है? महेन्द्र सिंह धोनी उत्तराखण्ड के ही तो निवासी हैं। उनके पिता श्री पान सिंह जी अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लाक के निवासी हैं। माननीय खेल मंत्री जी और सरकार से पूछा तो इन्होंने महेन्द्र सिंह धोनी का नाम ही नहीं लिया है। पैसा दें या ना दें यह बात अलग है। कम से कम प्रोत्साहित तो करना चाहिए। सरकार ने कहा कि विचार कर रहे हैं। धोनी जी का नाम ही नहीं है, विचार क्या किया जाएगा? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार महेन्द्र सिंह धोनी और उनके अलावा जो अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित करेगी, प्रोत्साहित करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार जसपाल राणा, अभिनव बिन्द्रा, सुषमा सिंह और महेन्द्र सिंह धोनी को पुरस्कृत करने की योजना बना रही है? मान्यवर, महेन्द्र सिंह धोनी द्वारा आज तक किसी प्रेस वक्तव्य में अपने को उत्तराखण्ड का निवासी नहीं बताया गया है। धोनी जी उत्तराखण्ड में आएंगे तो उनको सम्मान देने पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान) महेन्द्र सिंह धोनी को वैसे भी झारखण्ड सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसमें भी डोमिसाईल का मामला है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जहाँ तक अन्य खिलाड़ियों की बात है, तो जसपाल राणा, अभिनव बिन्द्रा और सुषमा सिंह को यहाँ सम्मानित किया जा चुका है। इनको धनराशि आवंटित की जा रही है। महेन्द्र सिंह धोनी के अलावा सबको सम्मानित किया जा चुका है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय खेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुल कितने खिलाड़ी हैं और उनमें से कितनों को सम्मानित किया गया है और कितनों को नहीं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जानकारी हो तो दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने पिन प्वाइंटेड प्रश्न पूछा है। यदि माननीय मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है तो प्रश्न लगाना ही बेकार है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को ऑफीसर्स के पास वाली सीट पर बैठाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को उत्तर देने में परेशानी होती है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है, उनकी वर्षवार सूचना मैं दे रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–ह

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रश्न पूछा है, अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसको सुन तो लीजिए। यदि कोई कमी रह जाएगी तो फिर पूछ लीजिएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अब तक 652 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुल कितने खिलाड़ी हैं और कितनों को सम्मानित किया जा चुका है? इनकी संख्या बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे यहाँ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रमशः 652 एवं 16 खिलाड़ी हैं। जिन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, इसमें से कितने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी मेरे पास अलग–अलग सूची नहीं है। इनकी सूचना बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का जवाब दे दीजिए। कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा चुका है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्ष 2002–03 में 04 अन्तर्राष्ट्रीय, 2004–05 में 03 अन्तर्राष्ट्रीय, 2005–06 में 01 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 2006–07 में 08 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इनके अतिरिक्त विभिन्न वर्षों में अब तक 652 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा चुका है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत ज्ञान की बातें यहाँ पर की और खेल के बारे में उनकी जो दिलचस्पी और ज्ञान है, वह अब हमें लगने भी लगा है कि उन्हें बहुत ज्ञान है। मान्यवर, मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा था जिसमें चार खिलाड़ियों के नाम भी दिये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री महेन्द्र सिंह धोनी किस परिधि में आते हैं, क्या सरकार उनको पुरस्कृत करेगी, अगर सरकार उनको पुरस्कृत करेगी तो उसकी क्या योजना सरकार बना रही है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, श्री महेन्द्र सिंह धोनी एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उनका उत्तराखण्ड का कोई रिकार्ड नहीं है और उन्होंने कहीं यह भी नहीं कहा है कि वह उत्तराखण्ड के निवासी हैं, वह उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी नहीं हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, वह स्थायी निवासी हैं या मूल निवासी हैं?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि वे उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे मूल निवासी हैं।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने की जो राज्य सरकार की योजना है, जो नीति है, उसका विवरण क्या है कि सिल्वर मेडल वाले को कितना मिलेगा, ब्रॉंज मेडल वाले को कितना मिलेगा, गोल्ड मेडल लाने वाले को कितना इनाम मिलेगा और जो अन्तर्राष्ट्रीय इवेंट में हैं उन्हें कितना मिलेगा या राष्ट्रीय इवेंट वाले को कितना दिया जायेगा? इन सब के लिए क्या व्यवस्था है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी तक इसके लिए कोई भी मानक तय नहीं किया गया है।

(शेम–शेम की ध्वनि)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको भी अवसर दूँगा, आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसे तय किया जायेगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, जो कि उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें पुरस्कृत करने हेतु सरकार शीघ्र कोई नीति बनायेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, खेल नीति के अन्तर्गत इसमें विचार किया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिन 652 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची बताई है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें हमारे चैम्पियन साहब का भी नाम है और उसमें क्या मूछों के लिए भी कोई प्राविधान है?

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या मूछों की भी प्रतियोगिता होगी? (हँसी)

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद चमोली के गैरसैंण तहसील के ग्राम घंडियाल के श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी जो सेना में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई पदक जीते हैं और प्रदेश का नाम रोशन किया है अभी उन्होंने एक स्वर्ण पदक भी जीता है।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, क्या उनको पुरस्कार देने की मंशा है, क्या सरकार उनको पुरस्कृत करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय खेल मंत्री जी ने उत्तर में अवगत कराया था कि प्रदेश में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 652 खिलाड़ी हैं और उनमें से 16 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिन खिलाडियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लिये हैं, उनकी संख्या 652 है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न सुन लें आपको उत्तर देने में आसानी होगी। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि सूबे के अन्दर 652 खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उसमें से 16 को पुरस्कृत किया गया है और जो शेष हैं, उनको सरकार कब तक पुरस्कृत करेगी, दूसरा–जिन 16 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, इनके क्या मानक तय किये गये हैं, अगर मानक हैं ही नहीं तो किन मानकों के तहत उन्हें पुरस्कृत किया गया है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 16 खिलाड़ी जिनको सम्मानित किया गया है वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और जो 652 हैं वे राष्ट्रीय स्तर के हैं।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, बिना मानक के सम्मानित कर कैसे दिया? (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसे अस्वीकार कर दिया जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सूचना पूरी आ रही है।

प्रदेश में लघु स्टेडियमों का निर्माण एवं कार्य की स्थिति

*4. श्री प्रीतम सिंह–

क्या खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा लघु स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है?

क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत लघु स्टेडियमों के निर्माण कार्यों को रोका गया है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ। वस्तुतः स्थिति यह है कि नये कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय जाँच, भूमि की उपलब्धता तथा मौके की स्थिति का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में निदेशालय के 03 अधिकारियों को समस्त प्रकरणों की स्थलीय जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया है। जाँच आख्या प्राप्त होने पर तकनीकी दृष्टि एवं कार्यदायी संस्थाओं के रिपोर्टों के आधार पर 03 स्थानों में भूमि की अनुपलब्धता तथा अन्य भूमि सम्बन्धी विवाद वाले स्थलों को छोड़कर शेष कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं, तथा बजट व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गयी हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय खेल मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि युवा कल्याण विभाग के माध्यम से कितने मिनी स्टेडियम का निर्माण स्वीकृत है और उसके लिए कितना बजट का प्राविधान किया गया था और उसके सापेक्ष कितना खर्च हुआ है? यह बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में 37 ग्रामीण स्टेडियम की स्वीकृति हुई है, ये निर्माणाधीन हैं। 20 स्टेडियम पर कार्य रूका हुआ है क्योंकि कहीं भूमि उपलब्ध नहीं थी। जहाँ–जहाँ भूमि उपलब्ध हो गई है इनमें भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसके लिए भूमि नहीं मिल पायी है, उन्हें छोड़ दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

बजट के बारे में बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो 17 स्टेडियम हैं, इनके लिए लगभग 5 करोड़ 64 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि सूबे के अन्दर कितने स्टेडियम बन रहे हैं, दूसरा इसके लिए कुल कितना बजट है और उस बजट के सापेक्ष कितना धन खर्च हुआ है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 5 करोड़ 64 लाख 43 हजार के विरुद्ध 4 करोड़ 30 लाख 54 हजार की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देहरादून में एक मात्र जो खेल ग्राउण्ड है उसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई है? उसके निर्माण में काफी गोलमाल हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यहाँ पर पवेलियन ग्राउण्ड का निर्माण चल रहा है जिस पर 29 लाख खर्च हो चुका है। मार्च तक यह कार्य पूरा हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर गोलमाल हुआ है तो कितना हुआ है? माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना दें। (व्यवधान)

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय विधायक जी ने कहा कि गोलमाल हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितना हुआ? इसकी जानकारी सदन को दें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व शुरू हुआ, उस समय काँग्रेस की सरकार थी, मैं उस समय विधायक नहीं था, मुझे खिलाड़ियों ने बताया कि वहाँ पर अनियमिततायें हुई हैं। (घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

मेरा जोशी जी से निवेदन है कि अगर गोलमाल हुआ है तो उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को दें।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने पूर्व सरकार पर आक्षेप लगाया है, उस समय मैं खेल मंत्री था। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इसकी सी0बी0आई0 जाँच करा लीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर गोलमाल हुआ है तो कितना हुआ है?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। गोलमाल होने का अभी कोई प्रमाण नहीं है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक सदस्य द्वारा पूर्ववर्ती सरकार पर सीधे–सीधे आक्षेप लगाया जा रहा है। और उस पर पीठ का संज्ञान न लेना (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बहुत गलत परम्परा है कि माननीय सदस्य पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने पीठ से संरक्षण चाहा है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आक्षेप लगाया वह उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह रिकार्ड हो रहा है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, इसमें आपका निर्देश हो चुका है। यह लिख कर दे दें, वह मंत्री जी के पास आ जायेगा और उसकी वह समीक्षा कर लेंगे। (घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा बहुत ही गलत आक्षेप लगाया गया है माननीय मंत्री जी अपने शब्द वापस लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा आपका नाम नहीं लिया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार की बात कही है। कृपया इस पर चर्चा करा ली जाए। मान्यवर, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसका प्रमाण दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, सरकारों पर आरोप–प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जब तक किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिया गया हो तब तक चर्चा कराने की बात कहना उचित नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप लोग आसन ग्रहण करें, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जाँच करा ली जाए। स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पवेलियन ग्राउण्ड में यदि गोलमाल हुआ होगा तो इसकी जाँच भी करवाई जायेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर स्टेडियम और मिनी स्टेडियमों में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं क्या उसमें विभिन्न क्षेत्रों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें आई है? यदि शिकायतें आई हैं तो क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, और यदि नहीं कर रही है तो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जो शिकायतें आ रही हैं, उन पर कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी की जाँच रिपोर्ट में जिन निर्माण कार्यों पर गुणवत्ता ठीक न होने सम्बन्धी शिकायतें आ रही हैं उन जगहों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है और जब तक निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं होंगे वहाँ पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जायेगा। अभी भी कई स्थानों पर जाँच का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा पूर्व में जो जवाब दिया गया है, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। चाहें तो आप रिकार्ड देख लें। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जहाँ पर निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है, वहाँ क्या अनियमितता हुई होगी। मान्यवर, भूमि विवाद कहाँ–कहाँ है, और किन–किन मामलों में हैं? मान्यवर, अटाल, त्यूनी, क्वानू और लाखामण्डल में निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये गये हैं, तो यहाँ पर क्या अनियमितताएँ हुई हैं? यहाँ पर किस आधार पर कार्य नहीं कराया जा रहा है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"–

मान्यवर, क्या आप जमीन की गुणवत्ता देख रहे हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं भूमि का चयन सही नहीं हुआ है। जिनमें भूमि का चयन हो गया, जिनमें निविदा आमन्त्रित हो गई और जिनमें आपने कार्य को आरम्भ करने का आदेश दिया था उनमें भी आपने निर्माण कार्य को रोक दिया। मान्यवर, जिन स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है तो उन स्टेडियमों में माननीय मंत्री जी क्या जाँच करेंगे। मान्यवर, काम को क्यों रोका गया?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य इस विभाग में रह चुके हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टेडियमों पर भूमि विवाद चल रहा है और कहीं पर भूमि उपलब्ध ही नहीं है, जिस कारण अभी तक टैण्डर ही नहीं हो पाया है। मान्यवर, भूमि विवाद क्या है और भूमि उपलब्ध क्यों नहीं हुई, इसकी मैं जाँच कराऊँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब स्टेडियम का निर्माण कार्य होगा तभी तो माननीय मंत्री जाँच करेंगे, उसके बाद ही अनियमितता उजागर होगी। आज तक इन स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं कराया गया?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सीधा जवाब यह है कि यह सरकार प्रदेश का विकास नहीं चाहती है। जमीन का कोई विवाद नहीं है और माननीय मंत्री जी द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि स्टेडियम के निर्माण में भूमि विवाद और भूमि की उपलब्धता न होने से स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इस बारे में कहना चाहता हूँ, अगर भूमि ही उपयुक्त नहीं है तो विवाद किस प्रकार से माना जाय? दूसरा मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य के बारे में जानकारी या शिकायत करना चाहता है तो क्या वह विवाद माना जायेगा? मान्यवर, यह गलत परम्परा है और इस प्रकार से स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाना बहुत गलत है। मान्यवर, लखवाड़ वाला स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभी तक खेल विभाग के नाम पर जमीन ट्रांसफर ही नहीं हुई है तो सरकार जाँच किस पर करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में भूमि ट्रांसफर नहीं हुई है और वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्टेडियम बनाने में जब जमीन ही नहीं है तो निर्माण कार्य कैसे किया जायेगा? इसके निर्माण कार्य के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही चल रही है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में उत्तर दिया है कि राँसी में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु कुल 35.37 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी, जिसमें से केन्द्र सरकार से रुपये 26.52 लाख केन्द्रीय राशि स्वीकृत हुई, उसमें से अब तक 20.00 लाख रुपये की धनराशि केन्द्र सरकार से निर्माण इकाई समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 पौड़ी को अवमुक्त हो चुकी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में रूचि नहीं ले रही है इसलिए हम सदन का वाकआउट कर रहे हैं। (व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग करके चले गए और बाद में अपने–अपने स्थान पर वापस आ गए।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, सरकार गलत निर्माण कार्य नहीं होने देगी। (व्यवधान)

पिराई वर्ष 2007–08 के लिए सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य निर्धारण

*5. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिराई सत्र वर्ष 2007–08 के लिए सरकार द्वारा किसानों हेतु गन्ने का न्यूनतम मूल्य कितना निर्धारित किया गया है?

यदि नहीं, तो कब तक सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय कर लेगी?

श्री मदन कौशिक–

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य 81 रुपये 18 पैसे निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिराई वर्ष 2007–08 के लिए किसानों हेतु गन्ने का मूल्य अगेती प्रजाति हेतु रु0 132 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) तथा साधारण प्रजाति हेतु रु0 127 प्रति कुन्तल (मिल गेट पर) निर्धारित किया गया है।

नोटः–तारांकित प्रश्न सं0 (4) के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त यदि गन्ने में चीनी का परता (शुगर रिकवरी) 11 प्रतिशत या इससे अधिक है तो किसान को एक रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरड़ीखान (वि0ख0 डीडीहाट), तामाखानी तथा चौपाता (वि0ख0 कनालीछीना) का उच्चीकरण

1. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरड़ीखान (वि0ख0 डीडीहाट), तामाखानी तथा चौपाता (वि0ख0 कनालीछीना) का उच्चीकरण करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण की कोई योजना संचालित नहीं है।

ई0जी0एस0 केन्द्रों का उच्चीकरण एवं शिक्षा मित्रों को नियत वेतन/मानदेय

2. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार ई0जी0एस0 केन्द्रों के उच्चीकरण के फलस्वरूप उसमें कार्यरत शिक्षा मित्र उच्चीकृत विद्यालय में यथावत रहेंगे?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें नियमित शिक्षक के अनुरूप नियत किया गया वेतन देगी?

यदि नहीं, तो उक्त कार्यरत शिक्षा मित्रों हेतु क्या वेतन/मानदेय नियत है?

श्री मदन कौशिक–

शासनादेशानुसार ई0जी0एस0 केन्द्रों के उच्चीकरण के फलस्वरूप उसमें कार्यरत शिक्षा मित्र उच्चीकृत विद्यालय में शिक्षा मित्र प्राविधानानुसार कार्यरत हैं।

नियमित शिक्षक के अनुरूप शिक्षा मित्र को नियत वेतन दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों को रुपये 6000.00 (रुपये छः हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय दिये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आम खेलों को प्रोत्साहन

3. श्री नारायण पाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आम खेलों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

क्या सरकार प्रदेश में खेलों के विकास हेतु प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण किये जाने पर विचार करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

खेल विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं खेल किट सुविधा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आदि योजनायें संचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों/जनपद मुख्यालयों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन का विषय युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

राज्य गठन के उपरान्त खेलों के विकास के लिए खेल विभाग के द्वारा जनपदों में स्टेडियम, तरणताल, इन्डोर हॉल निर्मित किए जा चुके हैं/निर्माणाधीन हैं।

राज्य में कॉमनवैल्थ एवं इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के अन्तर्गत खेलों के आयोजन की स्वीकृति

4. श्री नारायण पाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कॉमनवैल्थ ऐसोसिएशन एवं इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के अन्तर्गत आने वाले किन–2 खेलों की प्रतियोगिता सरकार द्वारा राज्य में आयोजित किये जाने की उक्त से स्वीकृति मांगी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

कॉमनवैल्थ एसोसिएशन के अन्तर्गत आने वाले खेलों की प्रतियोगिताओं को आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में कोई स्वीकृति नहीं मांगी गयी है। सेक्रेटरी जनरल इण्डियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन द्वारा दक्षिण एशियाई शीत खेलों के आयोजन को 2009 में आयोजित किए जाने पर अपने पत्र संख्या–आई0ओ0ए0 / एस0ए0जी0डब्ल्यू0जी0 / 2007, दिनांक 24–7–2007 के द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

प्रायः इस सम्बन्ध में इस प्रकार की मांग खेल संघों एवं खेल फैडरेशनों द्वारा ही की जाती है।

उत्तरकाशी के वि0स0 क्षेत्र पुरोला अन्तर्गत इण्टर कॉलेज एवं हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति

5. श्री राजेश जुवाँठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शिक्षक इण्टर कॉलेजों एवं हाई स्कूलों में तैनात हैं तथा कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत वर्तमान में 15 राजकीय इण्टर कॉलेज एवं 10 राजकीय हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें कुल 141 प्रवक्ता तथा 268 सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष 78 प्रवक्ता एवं 201 सहायक अध्यापक (एल0टी0) कार्यरत हैं तथा 63 पद प्रवक्ता एवं 67 पद सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त चल रहे हैं।

जी हाँ।

सहायक अध्यापक एल0टी0 के रिक्त पदों पर वर्तमान में मण्डल स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, और प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही निदेशालय स्तर पर गतिमान है।

उत्तरकाशी के पुरोला स्थित इण्टर कॉलेजों/हाईस्कूलों के भवनों की स्थिति

6. श्री राजेश जुवाँठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे इण्टर कॉलेज/हाई स्कूल भवन हैं जो क्षतिग्रस्त एवं भवन विहीन स्थिति में हैं?

क्या यह सत्य है कि विद्यालयों के उच्चीकरण से छात्रों के बैठने के लिए भवनों की कमी बनी हुई है?

यदि हाँ, तो सरकार नये भवन निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कदम उठा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत 08 विद्यालय जीर्ण–शीर्ण तथा 06 विद्यालय भवनहीन हैं।

जी हाँ, वर्तमान में हाईस्कूल स्तर की कक्षायें जूनियर हाईस्कूलों के भवनों में संचालित हो रही हैं।

जिला योजनान्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के हाईस्कूल/इण्टर विद्यालयों हेतु प्रस्तावित कक्षा–कक्षों एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

यथा समय।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय एवं जूनि0 हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति

7. श्री गगन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत प्रा0वि0 से जूनियर हाईस्कूल तक 53 पद अध्यापकों के रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी एवं जूनियर हाईस्कूलों में उपलब्ध रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा के द्वाराहाट एवं चौखुटिया अन्तर्गत रा0क0इ0 कालेज के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

8. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रा0क0इ0 कॉलेज–द्वाराहाट व चौखुटिया के भवनों के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत हुई है?

यदि हाँ, तो वर्तमान में निर्माण कार्य की स्थिति क्या है और कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

"जी नहीं"

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रा0क0इ0 कॉलेज–द्वाराहाट एवं चौखुटिया के भवन निर्माण कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरकाशी के पुरोला वि0स0 क्षेत्र अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय व जूनि0हा0 स्कूल में शिक्षकों/शिक्षिकाओं की तैनाती व रिक्त पद

9. श्री राजेश जुवाँठा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल कितने शिक्षक/शिक्षिकाएँ प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूलों में तैनात हैं तथा कुल कितने शिक्षक/शिक्षिकाओं के पद रिक्त चल रहे हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है:–

		कार्यरत	रिक्त
1.	प्राथमिक विद्यालय	155	07
2.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	138	06
	योग:–	293	13

जी हाँ।

प्राथमिक विद्यालय के रिक्त पदों की पूर्ति विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों से तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों की पूर्ति पदोन्नति से किये जाने की प्रक्रिया जनपद स्तर पर गतिमान है।

प्रदेश के सहा0 अध्यापकों/अध्यापिकाओं को पंचम वेतनमान का लाभ

10. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश भर में ऐसे कितने स0 अध्यापिकाएं या सहायक अध्यापक (बी0टी0सी0) वाले हैं जो विगत 25 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों (इण्टर/हाईस्कूल स्तर) में अध्यापन कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको उक्त समय से वर्तमान तक कोई पदोन्नति/पंचम वेतनमान नहीं दी जा रही है?

यदि हाँ, तो जिलेवार स्पष्ट स्थिति क्या है?

क्या सरकार ऐसे सहायक अध्यापिकाओं/अध्यापक (बी0टी0सी0) को उक्त सुविधा देने पर विचार कर रही है और कब तक?

श्री मदन कौशिक–

जी कोई नहीं।

शून्य

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिराई वर्ष 2007–08 हेतु राज्य स्थित चीनी मिलों को चलाने की अन्तिम तिथि

11. काजी मौ0 निजामुद्दीन–

क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिराई वर्ष 2007–08 हेतु राज्य में स्थित चीनी मिलों को चलाने के लिए कोई अंतिम तिथि तय की गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

पिराई वर्ष 2007–08 हेतु राज्य में स्थित चीनी मिलों को चलाने के लिए कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है।

चीनी मिलों को चलाने की अंतिम तिथि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि राज्य सरकार का प्रयास है कि समस्त चीनी मिलें माह नवम्बर 2007 के अंतिम सप्ताह तक अवश्य चल जायें।

जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को प्रदत्त अतिरिक्त प्रभार

12. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पास संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं अपर शिक्षा निदेशक का भी प्रभार है?

यदि हाँ, तो एक अधिकारी के पास तीन पदों का प्रभार दिये जाने का औचित्य क्या है तथा कब तक जनपद पौड़ी में मण्डलीय अधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में निहित अर्हता पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही गतिमान है।

शासनादेश संख्या–646/XXIV–2/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 के द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के तहत गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्रशासनिक/अकादमिक) एवं जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी के पद के प्रति अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है।

विद्यालयी शिक्षा विभाग में अधिकारियों के स्वीकृत पद एवं वेतनमान

13. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा विभाग में किन–2 अधिकारियों के पद किस––2 वेतनमान में स्वीकृत है और क्या इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों को निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 आयोजित करने/करवाने में हो रहे विलम्ब के कारण अधिकारियों की आगामी पदोन्नति बाधित है?

यदि हाँ, तो डी0पी0सी0 कब तक आरम्भ की जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

विद्यालयी शिक्षा विभाग में अधिकारियों के वेतनमान सहित स्वीकृत पद निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
1.	शिक्षा निदेशक	01	18400–22400
2.	अपर शिक्षा निदेशक	05	14300–18300
3.	सं0शि0नि0/जि0शि0अ0/समकक्ष	26	12000–16500
4.	अ0जि0शि0अ0/ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष	134	10650–15850
5.	उप निदेशक/प्रधानाचार्य/समकक्ष	989	10000–15200
6.	सहायक निदेशक/वरिष्ठ प्रवक्ता/समकक्ष	183	8000–13500

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर पूर्णकालिक रूप से कार्यरत अधिकारियों को ही निर्धारित वेतनमान दिया जा रहा है तथा पद के प्रति कार्यरत अधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2006 में निहित सेवा प्राविधानों के तहत निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही गतिमान है।

जी हाँ। कतिपय अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां समय से उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हुआ है।

अर्ह अधिकारियों की पदोन्नति हेतु डी0पी0सी0 की कार्यवाही गतिमान है।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री विजय सिंह पंवार, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी की कुल 04 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इन चारों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद टिहरी में टिहरी बाँध जलाशय में फेरी बोट से गिरकर कु0 रितु रावत की असामयिक मौत के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनाँक 16–11–2007 को टिहरी बाँध जलाशय में यातायात हेतु प्रशासन द्वारा तैनात फेरी बोट में कार्मिकों/चालकों की भारी गलती के कारण ग्राम रौलाकोट (गडोली) निवासी कु0 रितु रावत, सुपुत्री चन्दन सिंह रावत की बोट स्टैंड से अचानक गिरने के फलस्वरूप जलाशय में डूबने से असामयिक मौत हुई है। मौके पर सुरक्षाकर्मी, गोताखोर इत्यादि कुछ भी नहीं रहते हैं, फेरी बोट चालक भी यदा–कदा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। बाँध प्रभावित क्षेत्र की जनता द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई हैं। इस घटना के पश्चात् क्षेत्रीय जनता द्वारा जिला व बाँध प्रशासन के प्रति भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है।

टिहरी बाँध जलाशय में चलने वाली फेरी वोटों पर बन्द जाली, स्टेपवाल गोताखोर व सुरक्षाकर्मी आवश्यक रूप से होने चाहिए। बाँध/जिला प्रशासन के द्वारा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिहरी बाँध प्रभावितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही से बोट स्टैंड से गिरकर डूबने से मृत कु0 रितु रावत के आश्रितों को पाँच लाख रुपये का शीघ्र मुआवजा दिया जाये साथ ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फेरी बोट में सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जायं। बोट तक आने वाले जीर्ण–शीर्ण रास्तों को सुदृढ़ किया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश में कार्यरत उत्तराखण्ड राज्य के विकल्पधारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड में समायोजित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती आशा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सामान्य शिक्षा संवर्ग में कार्यरत् उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी ऐसे शिक्षा अधिकारियों को, जिन्होंने तत्समय उत्तराखण्ड राज्य में सेवा करने का विकल्प भरा था एवं उन्हें उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से आवंटित करते हुए स्थानान्तरित भी कर दिया गया था, को उत्तराखण्ड प्रदेश शासन द्वारा उनसे उत्तराखण्ड राज्य मेंसेवा करने हेतु सहमति मांगे जाने तथा राज्य परामर्शी समिति भारत सरकार द्वारा सेवा स्थानान्तरण के आधार पर उन्हें समायोजित कर दिये जाने के निर्देश के बावजूद अभी तक विभागीय वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, ऐसा क्यों?

2. सेवा स्थानान्तरण के आधार पर जब सचिवालय संवर्ग के आठ कर्मियों (दैनिक जागरण, 21 नवम्बर, 2007 में प्रकाशित आख्या) को समायोजित किया जा चुका है परन्तु शिक्षा विभाग में कार्यरत बाईस शिक्षा अधिकारियों को समायोजन करने में शासन द्वारा विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

3. इन शिक्षा अधिकारियों को उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से समायोजित करने हेतु कोई अलग से समय सीमा तय नहीं की गयी है जिससे उन्हें वरिष्ठता के आधार पर तद्नुसार पदों पर पदस्थापित किया जा सके।

अतः इस अति लोक महत्त्व की सूचना पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर/बजाक में जल स्तर की कमी तथा सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद का ब्लॉक भगवानपुर का अधिकांश भाग घाड़ क्षे: के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशेषतः सिंचाई के साधन नाम मात्र हैं। जं निजी साधन ट्यूबवैल हैं, वह जल स्तर गिरने के कारण स्वतः ही बन्द हो गये हैं जिस कारण से इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों को कठिनाई उत्पन्न हो गयी है इस क्षेत्र के किसान मजबूर एवं लाचार हो गये हैं क्योंकि सिंचाई के अभाव में फसलों का उत्पादन लगभग बहुत कम हो गया है। किसान बहुत परेशानी झेल रहा है। इर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की फसल बचाने के लिए, किसानों कं आर्थिक संकट से उबारने के लिए घाड़ क्षेत्र में सिंचाई के साधन सरकारी ट्यूबवैल लगवाये जाने बहुत ही आवश्यक हैं। सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र का सर्वे कराक जनहित में सिंचाई के साधन सरकारी ट्यूबवैल नाबार्ड के द्वारा लगवाकर क्षेत्र वं किसानों की सुविधा/उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से करना बहुत अनिवार्य है

अतः इस तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन क ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत बिन्ता तथा माँसी में आई0टी0आई0 की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, वर्ष 2006–07 में सरकार ने कई क्षेत्रों में आई0टी0आई0 खोले जाने के आदेश दिये थे। इनमें से द्वाराहाट विकास खण्ड के अन्तर्गत बिन्ता तथ चौखुटिया विकास खण्ड के अन्तर्गत माँसी में भी आई0टी0आई0 खोले जाने हेतु शासन के आदेश हो चुके थे। किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक उक्त में से एव भी आई0टी0आई0 संचालित नहीं हो सका है, जबकि मैंने स्वयं कई बार शासन एव प्रशासन स्तर पर आई0टी0आई0 संचालित किये जाने की माँग की थी।

उक्त स्थिति को लेकर क्षेत्र की जनता में व्यापक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है और क्षेत्रीय जनता ने शासन की इस उपेक्षा के विरुद्ध व्यापक एवं उग्र आन्दोलन करने की चेतावनी दी है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2006–07 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का प्रथम प्रतिवेदन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–2008) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–08) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007–2008) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के ग्राम सौंप–आर्स–नैक्वाड़ा–चुरैना–चामी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड–घनसाली के ग्राम–सौंप–आर्स–नैक्वाड़ा–चुरैना–चामी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र सिंह रावत, एवं अन्य निवासीगण, ग्राम व पो0 सौंप जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के ग्राम शिकोपुर गाँव में सोलानी नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद हरिद्वार के ग्राम शिकोपुर गाँव में सोलानी नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राव अखलाक पुत्र श्री शेर मोहम्मद एवं अन्य निवासीगण, ग्राम शिकोपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में" श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह निवासी भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण, ग्राम शिकोपुर, जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के बस स्टैण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग के बस स्टैण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में" श्री देवेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश निवासी भगवानपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री तिलक राज बेहड़ जी, आप इसे पढ़ दें।

श्री तिलक राज बेहड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा इन्सपेक्टर श्री अजय ध्यानी एवं एस0ओ0जी0 प्रभारी श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 15–10–2007 की बात है, मैं सुबह साढ़े नौ बजे घर से बाहर शोरूम उद्घाटन समारोह में जाने के लिए निकला और घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। मुझसे मिलने के लिए क्षेत्र से काफी लोग आते रहते हैं तो जब मैं चलने लगा तो लोगों ने कहा कि हमारी बात सुन लें तो मैंने कहा कि मैं 15 मिनट बाद लौट कर आ रहा हूँ अभी उद्घाटन करने जाना है, तो श्री सुरेश कोहली नाम का व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे पुलिस परेशान कर रही है, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई ने गलत कार्य किया है तथा मैं अपराधियों की मदद नहीं करता हूँ इतना कहकर मैं एक शोरूम के उद्घाटन हेतु चला गया। वहीं पर मेरे पास मेरे सहायक पिंटू कुमार का फोन आया

तथा उसने बताया कि पुलिस पार्टी आयी है और कार्यालय की तलाशी ले रही है। मैं तत्काल वापिस आ गया तथा मैंने देखा कि कोतवाल मय फोर्स खड़ा था तथा एस0ओ0जी0 प्रभारी श्री ओ0पी0 शर्मा कार्यालय की तलाशी ले रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि आप मेरे कार्यालय में क्या कर रहे हैं तो उसने बताया कि मैं अनिल कोहली मुल्जिम को ढूँढने आया हूँ, तो मैंने कहा कि कोई मुल्जिम हमारे यहाँ नहीं आया है, उसका भाई आया था तो कोई भी अपनी बात कहने के लिए मेरे पास आ सकता है, फिर धरना दिया, हजारों लोग थे, रात के 10.00 बजे तक धरना चलता रहा। मेरे द्वारा बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से घुसने पर आपत्ति दर्ज करवाने पर वह बाहर चला गया।

मान्यवर, पुलिस द्वारा इस प्रकार मेरे कार्यालय की तलाशी लेना गैर कानूनी कार्य है। मैं एक सम्मानित नागरिक के साथ-साथ निर्वाचित विधायक भी हूँ। रुद्रपुर पुलिस ने इस प्रकार मेरे विधायक पद के विशेषाधिकार का भी हनन किया है एवं एक सम्मानित जनप्रतिनिधि को अपमानित करने का प्रयास किया है। मान्यवर, आज तक उनकी न तो सेवा समाप्त हुई है और न निलम्बन की कार्रवाई हुई है और इस तरह की घटना 30–40 साल में पहली बार हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की जाये। मान्यवर, मैं स्वयं सदन का सदस्य इस बात को शपथ पूर्वक कह रहा हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, सदस्य जो बात सदन में कह रहे हैं, वह बात सत्य मानी जाय। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह इस सम्मानित सदन के सदस्य का विशेषाधिकार हनन का मामला है। यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, इस विषय का सरकार पूरी तरह से संज्ञान ले रही है। इसको दिखवा लेते हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

हमारा आपको संरक्षण है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह दल विशेष का सवाल नहीं है, इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए था, इस प्रकरण को एक माह का समय व्यतीत हो गया है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण बहुत गम्भीर है, इसीलिए तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसे दिखवा लेने की बात की है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण में ट्रांसफर भी हो गये हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसमें एस0एस0पी0 ने आदेश दिये हैं, इन्हें रुद्रपुर से हटाकर खटीमा में कोतवाल बना दिया है। इस तरह से इनको पुरस्कृत किया गया है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपना पक्ष रखें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण का संज्ञान सरकार द्वारा लिया गया है, इस प्रकरण को आज ही दिखवा लेते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस प्रकरण में केवल ट्रांसफर किये गये हैं, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह एक माह पुरानी घटना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इसे आज ही दिखवा लेते हैं, जबकि इस घटना से सदन के एक सम्मानित सदस्य को ठेस पहुँची है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण का संज्ञान ले लिया गया है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तत्काल क्या होता है। इस घटना को घटित हुए एक माह का समय व्यतीत हो गया है। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि संज्ञान ले लिया है। एक माह में संज्ञान ही नहीं लिया, यह तो बहुत गम्भीर बात है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया, इसीलिए आज इसे सदन में लाना पड़ा है। इस विषय पर पीठ से निर्देश आ जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में इसे सदन में लाये हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन आ गया है कि इस पर कार्यवाही करेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह किसी एक माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं हैं यह पूरे सदन का सवाल है। यह ठीक है कि आप बहुमत के आधार पर आज सत्ता में हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष चाहते क्या हैं?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप इसमें जल्दबाजी कर रहे हैं। इसमें पूरी बात आ जाने दीजिए। आपकी तरफ के लोग भी इस विषय पर बोलना चाहते होंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस पर चर्चा नहीं होती है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भी यह परम्परा है कि जब विशेषाधिकार हनन का मामला आता है तो उस पर पूरा सदन एकजुट होता है। सबकी एक राय होती है यह सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आज तक यह परम्परा रही है कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर पूरा सदन एक रहता है। (व्यवधान)

* श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आज भी एक है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अगर हम इसमें सरकार की कार्यवाही से संतुष्ट होते तो सदन में इसको क्यों लाना पड़ता?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कार्यवाही की गयी है। तत्काल उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अब इस पर आपका विनिश्चय आना है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, केवल उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अब यह प्रश्न सदन में उठा है तो इस पर आपका विनिश्चय आएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज सदन उठने से पहले सदन में सूचना दे दी जाय कि इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह किसी एक माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, इसमें एकतरफा कार्यवाही नहीं हो सकती है।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस पर विनिश्चय आ चुका है, आप लोग आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाने लगे।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हमारा कहना यह है कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश आ जाने के बाद भी माननीय सदस्यगण उसे नहीं मान रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम मंत्री जी की बात ही नहीं सुनना चाहते। मान्यवर, कौन सी नियमावली में लिखा है कि विधायकों का अपमान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस पर विनिश्चय आ चुका है कि आज सदन उठने से पहले इसकी सूचना मिल जायेगी कि इस पर क्या कार्यवाही की जायेगी।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

* श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी सदस्य का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि पुलिस ने अपमान की दृष्टि से यह कार्यवाही की है तो यह ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि यही सदन है, ठीक डेढ़ साल पहले मैं भी यहाँ का सदस्य था। मेरे ऊपर 302 का मुकदमा लगाया गया था, मैंने खुद मुल्जिम होते हुये सी0बी0आई0 जाँच की माँग की थी और उसी सरकार ने सी0बी0आई0 जाँच की संस्तुति की थी, तब पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे घर की तलाशी ली, विधायक निवास तक में पुलिस ने तलाशी ली थी। उस समय सदन कहाँ था, क्या मैं सदस्य नहीं था?

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिना किसी अपराध के हमारे सम्मानित विधायक को एक पुलिस अधिकारी के द्वारा अपमानित किया गया है। इसलिए हमने विशेषाधिकार की माँग की है। संविधान से, कानून के ऊपर कोई नहीं है। (घोर व्यवधान) जिनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो हम उसके संरक्षण की माँग नहीं कर रहे हैं। (घोर व्यवधान) मान्यवर, हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, इसको गम्भीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में एक प्राविधान है कि जो आरोपित व्यक्ति है, उसका साक्ष्य लिया जाये। (घोर व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि आज शाम तक सदन उठने से पहले क्या रिपोर्ट हुई, (घोर व्यवधान) नियम सदन के बनाये हुए हैं। कृपया अपने स्थान पर जायें। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री प्रणव सिंह और माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की माँग को मान लिया जाय।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री प्रणव सिंह और माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी परम्परा न बनायें। मैं सरकार को निर्देशित कर रहा हूँ कि शाम तक इसमें निर्णय आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, निलम्बन कोई दण्ड नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन मिलाया, जब उनसे बात नहीं हो पाई तो मैंने चीफ सेक्रेट्री से बात की, डी0जी0पी0 से बात की और मैंने कहा कि हमारे माननीय सदस्य के घर में पुलिस द्वारा गलत कार्यवाही की गई है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी में नहीं है और उन्होंने कहा यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। मैंने फिर तुरन्त बेहड़ जी के घर में बात की। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री प्रणव सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई" को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य पूर्ववत "वेल" में अपनी बात को जोर–जोर से कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चूँकि विषय गम्भीर है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए ही उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने इस मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। सरकार ने मात्र सम्बन्धित अधिकारियों का ट्रांसफर ही किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो कार्यवाही तत्काल की जा सकती थी वह की गई। अब सम्मानित सदन के सम्मुख यह विषय पुनः विशेषाधिकार के रूप में आया है। मान्यवर, सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। (घोर व्यवधान) दबाव डालकर कार्य नहीं कराया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी ने पीठ से निर्देश दिया है कि शाम तक कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

विषय की गम्भीरता को देखते हुए इसमें आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। साथ ही मैंने यह भी कहा है कि जो कार्यवाही की जाए उससे तत्काल अवगत कराया जाये। फिर भी आप लोग सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। यह उचित नहीं है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका विनिश्चय आ जाता और यदि हम उससे संतुष्ट हो जाते, तो सदन व्यवस्थित हो जाता। माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। हम अपनी बात को कहाँ कहेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह परम्परा का प्रश्न नहीं है। एक माह पूर्व यह घटना घटित हुई और सरकार द्वारा मात्र अधिकारियों के स्थानान्तरण की ही. कार्यवाही की गई है उनके खिलाफ अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है? सरकार द्वारा एक दल विशेष के सदस्यों के उत्पीड़न का कार्य किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उन अधिकारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की जाए और उनके खिलाफ जाँच भी

की जाए। निलम्बन की कार्यवाही कोई दण्ड नहीं है। यदि निर्दोष साबित होते हैं, तो उनका निलम्बन वापस लिया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, शाम तक इस पर उत्तर आ जायेगा। विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी सरकार के पास नहीं है। माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों का संज्ञान लिया गया है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसका परीक्षण तो करा लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य प्रीतम सिंह को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठे रहे।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए और आप पीठ से सरकार को इस पर शीघ्र कार्यवाही करने का विनिश्चय दे दें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार समय रहते हुए इस पर कार्यवाही कर देती तो आज ये स्थिति नहीं होती। जबकि सरकार को एक माह का समय भी मिल गया था लेकिन इस बीच में सरकार ने इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, इसलिए इस प्रकरण पर विशेषाधिकार लाया गया है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने उनको पदोन्नति दी है। वह पूर्व में थाने में था और आज उसे कोतवाल बना दिया गया है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में हम विधायक रहे, उस समय आप भी उत्तर प्रदेश में सदस्य रहे हैं। उस समय आप भी यह कहते रहे हैं कि ऐसे समय में सभी सदस्यों को एकजुट होकर ऐसे प्रकरणों पर कार्यवाही करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मान्यवर, आज आप अध्यक्ष हैं, मेरा अनुरोध है कि पीठ से कोई ऐसा निर्णय आना चाहिए जो भविष्य के लिए एक नजीर बने। यह कोई पक्ष–विपक्ष का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, इस पर सरकार की ओर से कार्यवाही होनी चाहिए थी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें केवल ट्रांसफर किया गया है, सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। (व्यवधान)

श्री यशपाल बनाम–

मान्यवर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसमें समुचित कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, ऐसे आदेश आपकी पीठ से आने चाहिए। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–65 के अन्तर्गत इसके लिए उल्लेख है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रदेश की जनता के हितों के लिए कोई भी नियमावली नहीं होती है और अगर बनती है तो समय–समय पर उसमें संशोधन होता है और बहुत सारी बातें परम्पराओं से चलती हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सारा सदन इसके लिए एक है, शाम तक इसमें निर्णय आ जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तत्काल उस अधिकारी का निलम्बन करने का सरकार आश्वासन दे दे तो सदन व्यवस्थित हो जायेगा। मान्यवर, केवल यह एक सदस्य का मामला नहीं है, यह तो पूरे सम्मानित सदस्यों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर ऐसा होता रहा है तो फिर अधिकारियों के हौसले बुलन्द रहेंगे। आज आपको सदन में एक नजीर देनी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग ऐसे ही दबाव की नीति बनायेंगे तो यह ठीक परम्परा नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे खिलाफ भी इसी सदन में रात के 12 बजे एक समिति बनी थी, वह भी नियमावली में नहीं था। मान्यवर, यह जनप्रतिनिधियों का मामला है। आपको इसमें एक नजीर देनी चाहिए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शहजाद जी, इस मामले में पूरा सदन आज भी एक है। पूरा सदन यह चाहता है। यह केवल माननीय श्री तिलक राज बेहड़ का ही मामला नहीं है बल्कि सभी माननीय सदस्यों की बात है। हमने सायं तक का समय दिया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आज आपको एक नजीर बनानी है। इससे अधिकारियों पर अंकुश लगेगा।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् "वेल" में बैठकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की नजीर बननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अनुरोध करूँगा कि यह माननीय तिलक जी का मामला नहीं है यह माननीय सदन का मामला है, तो ऐसी नजीर न बने कि धरने पर बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमें अपने हितों की रक्षा के लिए धरना करना पड़ा। मान्यवर, एक माह का समय बीत गया और उसे पुरस्कृत किया गया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि उस पर जाँच बैठा दी जाए और जाँच में जो भी निष्कर्ष निकले तद्नुसार कार्यवाही की जाए, यह छोटी सी माँग कर रहे हैं। मान्यवर, आप हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं आपसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किस से करेंगे। हम महामहिम राज्यपाल जी के पास गये, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गये और यह अन्तिम प्लेटफार्म है जहाँ हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि तत्काल निलम्बित किया जाए, आपका यह निर्णय आ जाए तो हम सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह अच्छी परम्परा नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम भी चाहते हैं कि सदन में ऐसी परम्परा बने जो दूसरे प्रदेशों के लिए प्रेरणा बने।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठे रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ। तब तक सरकार इस विषय पर जो भी इन्फॉर्मेशन मँगाना चाहती है, मँगा ले।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय नेता विधान मण्डल दल, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में बैठे थे।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, विषय की गम्भीरता को देखते हुए एक विधायक के सम्मान का प्रश्न है। हम भी चाहते हैं कि सदन चले और सदन की गरिमा भी बनी रहे, मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश आ जायें, तो आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(तत्पश्चात् "वेल" में बैठे माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज विशेषाधिकार हनन की इस नोटिस पर सरकार को निर्देश दिया था कि तीन बजे तक इस पर की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय। जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने अपनी नोटिस में किया और उसके आलोक में अपना वक्तव्य सम्मानित सदन के सम्मुख रखा। इस घटना की शुरूआत दिनाँक 04 अक्टूबर, 2007 को जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत जो घटना घटित हुई, उस घटना के साथ जुड़ी हुई घटना के पश्चात् यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ। 04 अक्टूबर, 2007 को एस0ओ0जी0 की टीम को भूरारानी मोड़ के पास छः लोगों का एक गिरोह मिला, जिसमें अनिल कोली, पुत्र प्रसादीलाल, अयोध्या पुत्र अमृति लाल, जमुना पुत्र पूरन, निवासीगण रमपुरा, थाना रुद्रपुर, वीरपाल गिरी उर्फ वीरी पुत्र वारु गिरी, निवासी फौजी मदकोटा, थाना रुद्रपुर, छोटेलाल पुत्र हुसनैन, निवासी फौजी मदकोटा, थाना रुद्रपुर, साधु पुत्र गेंदन लाल, निवासी रामपुरा, रुद्रपुर संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखायी दिये। एस0ओ0जी0 की टीम द्वारा इन लोगों को टोके जाने पर इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और उस फायरिंग के कारण कान्स्टेबल कमल हसन घायल हो गया और बदमाश फायर करते हुये मौके से भाग गये।

इस घटना के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रुद्रपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ। दिनाँक 15–10–2007 को, जैसा कि माननीय विधायक जी

ने भी इस बात से अवगत कराया कि पुलिस के आदमी उनके भाई को ढूँढ रहे हैं और माननीय विधायक जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून अपना काम करेगा। श्रीमन्, घटना यहीं से शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह निश्चित रूप से प्रथम दृष्ट्या, वह ठीक नहीं हुआ, इस बात को हम स्वीकार भी कर रहे हैं। इसके बाद माननीय विधायक जी, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, जसपुर, माननीय विधायक खटीमा तथा पूर्व मंत्री जी श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, यह लोग धरने पर बैठ गये और उसके पश्चात् इस घटनाक्रम पर आपसे विचार-विमर्श हुआ और विचार-विमर्श के बाद उस समय यह तय हुआ कि जो दोषी, आरोपी व्यक्ति हैं, पुलिस कर्मी हैं। मान्यवर, इनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया और घटना की जाँच करायी जायेगी।

आज जो प्रकरण यहाँ पर आया और उसमें मूल रूप से माँग उठायी गयी वह दोषी पुलिस कर्मियों के निलम्बन की माँग है। मैं कहना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण घटना के आलोक में सरकार बिल्कुल भी इस बात को नहीं चाहती कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य के साथ सामान्य शिष्टाचार न बरता जाये। माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा हो और सरकार इस बात की प्राथमिकता को स्वीकार करती है और इसको दृष्टिगत रखते हुए इस सम्मानित सदन के माध्यम से उठाये गये इस प्रकरण पर सरकार इस सम्पूर्ण घटना की जाँच एक सप्ताह में किये जाने का आश्वासन देती है और साथ ही जो दोषी दो पुलिसकर्मी बताये गये एक-इन्सपैक्टर, श्री अजय ध्यानी और एस0ओ0जी0 प्रभारी श्री ओम प्रकाश शर्मा, इन दोनों को घटना की जाँच रिपोर्ट आने तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) और इसके साथ ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से सभी सम्मानित सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक है। जब भी ऐसी घटना आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं यह सरकार पूरी तरह से समस्त माननीय सदस्यों के साथ सामान्य शिष्टाचार को बनाये रखने की प्रबल समर्थक है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

नियम-65 के अन्तर्गत माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी द्वारा जो विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी और सरकार का जवाब आने तक इस सम्बन्ध में जो निर्णय है, उसे मैं सुरक्षित रखता हूँ।

श्रीमती अमृता रावत-

मान्यवर, मेरी भी नियम-65 में विशेषाधिकार की सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लेते हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 17 नवम्बर, 2007 की बात है। लगभग 11.00 बजे के करीब मैंने अपने निजी सहायक के द्वारा देहरादून के एस0एस0पी0 से मोबाईल पर बात करनी चाही थी, देहरादून के ही किसी प्रकरण के बारे में। मेरे निजी सहायक ने मोबाईल मिलाया, एस0एस0पी0 के द्वारा मोबाईल उठाया गया और उनको बताया कि विधायक जी बात करना चाहती हैं और जब मुझे मोबाईल दिया गया तो एस0एस0पी0 अमित सिन्हा मोबाईल ऑफ कर चुके थे। इसके बाद कई बार उनको मोबाईल मिलाया गया, पर वह स्विच ऑफ मिला। एस0एस0पी0 का मोबाईल नम्बर है 9411112704। फिर उसके बाद उनके कार्यालय जिसका नम्बर 2716203 पर फोन मिलाया गया तो उनके ऑफिस के सहायक ने कहा कि एस0एस0पी0 साहब बैठे हैं, अभी बात कराता हूँ और उसके बाद तुरन्त वह कहता है कि एस0एस0पी0 इस समय ऑफिस में मौजूद नहीं हैं। उसे निर्देशित किया गया कि हमारी उनसे बात कराएँ और मेरा मोबाईल नम्बर भी दिया गया कि वे हमसे सम्पर्क कर लें। लेकिन कई घण्टों के बावजूद भी जब उन्होंने हमसे सम्पर्क नहीं साधा तो मैंने डी0जी0पी0 श्री सुभाष जोशी को फोन मिलाया और वह कुमाऊँ के दौर पर थे, मैं यह बात उनके संज्ञान में लाई, उन्होंने सिन्हा से कहा कि वह तुरन्त बात करें। लेकिन आज एक हफ्ता हो चुका है, अभी तक एस0एस0पी0 सिन्हा ने बात नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि एक विधायक के फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा है और फोन उठाकर ऑफ कर दिया जाता है, आफिस में मौजूद होते हुए भी यह कह दिया जाता है कि नहीं हैं। वह एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनकी नौकरी यही है कि वह अपने शहर में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को देखें।

मान्यवर, एक सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य जनता की बात कौन सुनेगा। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाई की जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लेंगे। जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा किया गया, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि माननीय सदस्यों का जो प्रोटोकाल है, उसे बनाये रखने के लिए अधिकारियों को तुरन्त निर्देश जारी करें। इसका अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित किया जाये।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 22 नवम्बर, 2007 की बैठक में 23 नवम्बर, 2007 से 27 नवम्बर, 2007 के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

नवम्बर, 2007

23 शुक्रवार (1) अनुदानवार अनुपूरक माँगों पर चर्चा एवं मतदान।

(2) उत्तराखण्ड विनियोग (2007–08 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

(3) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

24 शनिवार अवकाश।

25 रविवार अवकाश।

26 सोमवार बैठक नहीं होगी।

27 मंगलवार विधायी कार्य।

1– प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक 2007" पर विचार एवं पारण।

(2 घंटे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत 06 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो का विषय समान है, इस प्रकार कुल चार सूचनायें हुई। इन सूचनाओं को नियम–58 में परिवर्तित कर दिया गया है। मैं इन 04 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ तथा जो आज नियम–58 के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उसमें से पहली सूचना माननीय सदस्य श्री तस्लीम अहमद एवं चौ0 यशवीर सिंह, दूसरी सूचना श्री केदार सिंह रावत एवं श्री राजेश जुवाँठा तथा तीसरी सूचना श्री तिलक राज बेहड़, चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री प्रीतम सिंह तथा श्री यशपाल आर्य एवं पांचवीं सूचना श्री नारायण पाल, प्रेमानन्द महाजन एवं श्री सुरेन्द्र राकेश की है। इस प्रकार कुल 05 सूचनाएँ हैं। मैं इन पाँचों सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों को मूल व जाति प्रमाण–पत्रों को बनाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे पूरे प्रदेश के अन्दर गम्भीर असन्तोष व्याप्त हो गया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 20–11–2000 को एक

शासनादेश जारी हुआ और उस शासनादेश के माध्यम से स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का प्राविधान रखा गया था। उसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि किसी अन्य प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय पूर्ववत् व्यवस्था रखी जायेगी। लेकिन 28–11–2006 को एक कार्यवृत्त जारी किया गया वह क्यों जारी किया गया? और जारी किये जाने के क्या कारण थे? और वह कार्यवृत्त जिलों में भेज दिया गया और जिलाधिकारियों द्वारा उस कार्यवृत्त को शासनादेश से भी ऊपर मानकर उस कार्यवृत्त को आधार मानकर जाति प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है, उसमें यह व्यवस्था है कि प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए तीन पीढ़ियों के खाता–खतौनी की माँग की जा रही है। मान्यवर, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि उत्तराँचल राज्य का गठन 2000 में हुआ। उससे पहले हमारा राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।

मान्यवर, राज्य गठन में यहाँ के नौजवानों, महिलाओं और सभी धर्मों के लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मान्यवर, 2000 से पहले तक हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासी थे और हमें जाति प्रमाण–पत्र या मूल निवास प्रमाण–पत्र आसानी से मिल जाते थे। उसके बाद 2001 में एक शासनादेश निर्गत हुआ उसमें 15 वर्ष से यहाँ निवास की अवधि निर्धारित की गई अर्थात जिन्हें यहाँ रहते हुए 15 वर्ष हो गये हों, उन्हें मूल निवास प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। यही व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी। लोग आसानी से अपना जाति प्रमाण–पत्र और निवास प्रमाण–पत्र बना रहे थे। किन्तु जब से यह कार्यवृत्त आया है और इसका क्रियान्वयन आरम्भ हुआ तब से सारी कठिनाइयाँ आरम्भ हो गईं।

मान्यवर, यह कार्यवृत्त कोई जी0ओ0 नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह कार्यवृत्त क्यों बनाया गया तथा किसने बनाया? यह बहुत गम्भीर मामला है। जो लोग भी राज्य बनने से पहले यहाँ रह रहे थे वह इस राज्य के निवासी माने जाने चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार से हरियाणा में हो रहा है और ऐसी ही व्यवस्था छत्तीसगढ़, झारखण्ड में है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, यहाँ पर कई जगह से लोग अपने बच्चों के साथ रहते हुए नौकरी करते हैं। और उनको शिक्षा के लिए जाति प्रमाण–पत्र की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार द्वारा जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाया जा रहा है और उस कार्यवृत्त का संज्ञान लिया जा रहा है, यह एक गम्भीर विषय है।

मान्यवर, यह बच्चे के भविष्य का सवाल है। इसलिए इस प्रमाण–पत्र में सरलीकरण होना चाहिए था। जो लोग 15 वर्ष से स्थाई रूप से राज्य में रह रहे हैं,

उनके लिए जाति प्रमाण–पत्र बनाने का यह पर्याप्त समय था। फिर भी सरकार उनको जाति प्रमाण–पत्र नहीं दे रही है। सरकार द्वारा ऐसा जान–बूझकर किया गया है। सरकार ने जो कार्यवृत्त बनाकर जिलों में भेजा है, यह प्रदेश की जनता के खिलाफ सरकार द्वारा एक षड़यंत्र किया जा रहा है और ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा जिलों के अन्तर्गत लागू की गयी है।

मान्यवर, जाति प्रमाण–पत्र बनवाने में जो परेशानी हो रही है, वह प्रदेश के तीन जिलों में हो रही है हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का देहरादून ऐसा शहर है, जहाँ पर पूरे भारत वर्ष के लोग कई वर्षों से आकर रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों का आज तक जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाया गया है। मान्यवर, आप अपनी पीठ से सरकार को विनिश्चय दें कि इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य का सृजन हुआ है। इससे पूर्व में जब हम उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा रहे, तब वर्ष 1988 में हरिद्वार जनपद का गठन हुआ। जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद का भाग रहा था। मान्यवर, वर्ष 1988 में यह नहीं सोचा था कि उत्तराखण्ड राज्य बनेगा, लेकिन आज हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखण्ड है। मान्यवर, सरकार द्वारा जो कार्यवृत्त जून के माह में जारी किया गया उससे प्रदेश की जनता को जाति प्रमाण–पत्र बनाने में काफी परेशानी हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक छात्र है, उसे पॉलीटैक्निक में प्रवेश लेना था, लेकिन जाति प्रमाण–पत्र के कारण वह प्रवेश नहीं ले सका। इसी प्रकार एक व्यक्ति हरिद्वार के बी0एच0ई0एल0 में वर्ष 1962 से नौकरी में है, लेकिन उसके बच्चों को आज भी शिक्षा और नौकरी के लिए जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिल रहा है। ऐसे कई छात्र हैं जिनको जाति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है लेकिन जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनाया जा रहा है।

मान्यवर, इस प्रदेश में कई वर्षों से रह रहे लोगों को जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिलेगा तो वह कहाँ जायेंगे? यह एक गम्भीर विषय है। ऐसी स्थिति में जो छात्र रोजगार पाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा।

मान्यवर, प्रमाण–पत्र बनाने के लिए 15 साल का रिकार्ड माँगा जाता है, दादा परदादा का नाम माँगा जाता है, उनका पता माँगा जाता है। मान्यवर, सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं होता। मान्यवर, सिर्फ ऐसे नियमों से हर आदमी

दुःखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मार्च से पहले जितने भी प्रमाण–पत्र बने हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है जो कि अपने आप एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। उनके प्रमाण–पत्र सरकार के एक निर्देश पर कार्यवृत्त के आधार पर कैंसिल कर दिये गये और कहा गया है जो यह जाति प्रमाण–पत्र बना है, वह मान्य नहीं है इसलिए वह नया जाति प्रमाण–पत्र लेकर आयें। जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है, उनके पुराने प्रमाण–पत्र कैंसिल कर दिये गये हैं। वे किसी परीक्षा में जब पास हो जाते हैं तो उनसे जाति प्रमाण–पत्र माँगा जाता है, जाति प्रमाण–पत्र न होने के कारण उनको कैंसिल कर दिया जाता है।

मान्यवर, जाति नहीं बदल सकती। इन्सान की कैटेगिरी बदल सकती है लेकिन जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है वह नहीं बदल सकता और आज का नवयुवक 3–4 पीढ़ियों का ब्यौरा रखने को शायद तैयार नहीं है। उन्हें अपने दादा परदादा कहाँ रहते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा आपसे यह अनुरोध है कि सन् 9–11–2000 ही इसकी कट ऑफ डेट होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई नियम बनते हैं तो सिवाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के बजाय कुछ नहीं है। 3–4 पीढ़ियों का ब्योरा माँगने में केवल भ्रष्टाचार होने के अलावा कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस पर हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर प्रमाण–पत्र चाहे वह अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र हो या मूल निवास प्रमाण–पत्र के बारे में जो कठिनाई आ रही है, उसके बारे में अभी माननीय सदस्य श्री दिनेश जी ने और श्री शहजाद जी ने कहा, उनसे सहमत होते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे नये राज्यों में यह व्यवस्था दी गयी कि राज्य बनने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनको यहाँ का निवासी माना जायेगा। लेकिन उत्तराखण्ड में यह व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके प्रमाण–पत्र नहीं बन पा रहे हैं। अभी नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव आ रहे है जो लोग इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको प्रमाण–पत्र नहीं मिल पा रहा है। उनसे यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है इसलिए आपका प्रमाण–पत्र यहाँ नहीं बन पायेगा।

मान्यवर, पन्तनगर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी जो कि यहाँ पर 30–40 साल से नौकरी कर रहे हैं और यहीं पर रह रहे हैं इनके बच्चों ने भी यहीं पर पढ़ाई की है, उनको प्रमाण–पत्र नहीं दिया जा रहा है। उनके प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। यही नहीं रुद्रपुर पी0ए0सी0 के जवान अभी हमारे पास आए उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी यहीं पर सर्विस में काट दी लेकिन उनके बच्चों के प्रमाण–पत्र यहाँ

से जारी नहीं हो पा रहे हैं। मान्यवर, मेरा तो मानना है कि वे लोग चाहे वे पंजाब के हों या फिर बँटवारे के बाद पाकिस्तान के लोग हों। जो बँटवारे के बाद यहाँ निवास कर रहे हैं, उनको यहाँ का निवासी माना जाना चाहिए। मान्यवर, निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ठोस कदम उठाना चाहिए। यह एक गम्भीर समस्या है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर सरकार इस बारे में अभी से नहीं चेती तो आने वाला दिन बहुत ही भयावह होगा और कहीं ऐसा न हो कि जैसे एक छोटी फुंसी फट जाती है और फोड़ा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ कहीं इस बात के लिए एक नया आन्दोलन न खड़ा हो जाए। इसलिए सरकार इसके लिए सचेत होकर रास्ता निकाले।

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो यह पूरा विषय आ गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं माननीय नेता दल बसपा श्री शहजाद जी और श्री दिनेश अग्रवाल जी, श्री तिलक राज बेहड़ जी से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए केवल एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के आधार पर कुमारी माधुरी पाटिल बनाम कमिश्नर रावल 1994 में जो वाद था उसे आधार बनाते हुये कार्यवृत्त जारी किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस निर्णय में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जो दूसरे स्टेट के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं या बैकवर्ड के व्यक्ति हैं और यदि उस प्रदेश का व्यक्ति किसी प्रदेश में बस गया है और वहाँ जातियाँ अनुसूचित जाति, बैकवर्ड में हैं तो लागू होगा, तो यह तो केवल बहाना बनाकर यहाँ की जनता का शोषण करके जानबूझकर उसका हवाला देकर जाति प्रमाण–पत्र बनाने का कार्य बन्द किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो जनहित में हो, सभी लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें जाति प्रमाण–पत्र और मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस महत्वपूर्ण सूचना पर माननीय प्रतिपक्ष ने ध्यान आकर्षित किया है, उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि आपने 2–3 विषय उठाये हैं, तो एक विषय तो स्थाई निवास प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित है, दूसरा विषय जाति प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित है। श्रीमन्, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र राज्य के अन्दर जिन मूल उद्देश्यों के लिए आवश्यक होता है, वह यह है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, उत्तराखण्ड क्षेत्रान्तर्गत भूमि का क्रय करने के लिए और सरकारी सेवाओं में

रोजगार प्राप्त करने के लिए। श्रीमन्, इसमें किन को स्थाई निवास प्रमाण–पत्र दिया जायेगा, इसके बारे में 20 नवम्बर, 2001 को शासनादेश के माध्यम से व्यवस्था दी गई और उस व्यवस्था में दिये गये प्राविधानों के आधार पर उत्तरांचल में रहने वाले सद्भाविक नागरिक, उत्तरांचल में रहने वाले मूल नागरिक, इन सबको उत्तराखण्ड के अन्दर स्थाई निवास प्रमाण–पत्र दिया जाए, यह व्यवस्था इस शासनादेश के आधार पर की गई और इसमें कहीं से कहीं तक कोई अधिक कठिनाई इस शासनादेश के आधार पर स्थाई निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद श्रीमन्, जो दूसरा विषय महत्वपूर्ण है वो विषय है जाति प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित और यह जाति प्रमाण–पत्र के साथ जो विषय जुड़ा है, वो मूल निवास प्रमाण–पत्र से जुड़ा है, यह इसलिए जुड़ा है क्योंकि मूल निवास प्रमाण–पत्र की मूल रूप से 2 मूल उद्देश्यों को लेकर के आवश्यकता होती है, पहली आवश्यकता तो सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस भर्ती में निर्धारित शारीरिक अर्हता और मानदण्डों में छूट से सम्बन्धित होती है।

मान्यवर, आरक्षित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। श्रीमन्, जहाँ तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मूल एवं जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में वर्तमान में जो व्यवस्था है। इसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत किये गये और इन्हीं आदेशों के आधार पर 22 मार्च, 1977, 31 अगस्त, 1992, 25 नवम्बर, 2002 मूल रूप से हैं।

मान्यवर, इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रिट संख्याः 898/90/एक्शन कमेटी ऑन इश्यू ऑफ कास्ट सार्टिफिकेट टु शेड्यूल कास्ट एण्ड शेड्यूल ट्राईब वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डियन एण्ड अदर पर अपना निर्णय दिनाँक 18–07–1994 तथा रिट संख्या 5854/1994 माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ने अपना निर्णय दिनाँक 02–09–1994 तथा रिट याचिका संख्या 3045/1998 तथा अन्य में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया गया है कि किसी प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के केवल उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो कि उस राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची के सम्बन्ध में प्रेजीडेंटल आर्डर के नोटिफिकेशन की तिथि से पूर्व राज्य के निवासी रहे हों। अर्थात् किसी विशिष्ट राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में रखने सम्बन्धी महामहिम श्री राष्टपति के आदेश निर्गत करने के दिनाँक को कट ऑफ डेट माना गया है।

मान्यवर, हमारा राज्य उत्तराखण्ड भारतीय संविधान के अनुच्छेद–3 के तहत ही अस्तित्व में आया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची 5–6 में दर्ज है और जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रेजीडेंशियल

आर्डर तिथि अर्थात् 1950 में नोटिफाई किये जाने का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में केवल उसी दशा में आरक्षण का लाभ मिल सकता है, जबकि आवेदक अथवा उसका पिता 1950 से पूर्व प्रदेश में रह रहे हों। मान्यवर, जहाँ तक अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट संख्या–3045/एम0सी0डी0 बनाम बीना में अपने निर्णय दिनाँक 14–08–2001 में आदेश पारित किया है कि जिन तिथियों में कोई वर्ग विशेष, अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है उस तिथि से पूर्व निवास करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को भी राज्य में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ऐसा उल्लेख हुआ है। मान्यवर, मैं यह बताना उचित समझता हूँ कि उत्तराखण्ड में जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची अंगीकृत की गयी, वह सन् 2000 में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सूची है, जिसमें 55 जातियाँ सूचीबद्ध थीं। और समय–समय पर इसमें संशोधन किये जाते रहे। उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व इसमें 79 जातियाँ थीं। राज्य गठन के बाद इसमें 15–11–2003, 21–01–2003 और 06–12–2003 को 5 जातियाँ शामिल की गयीं। इस प्रकार इसमें 84 जातियाँ सम्मिलित हो गयीं। 23 मार्च, 2003 को 55 जातियाँ इसमें सम्मिलित हुईं। इसी प्रकार से समय–समय पर अन्य जातियाँ भी इस सूची में सम्मिलित होती रही हैं।

श्रीमन्, अभी जिन समस्याओं के बारे में इस सम्मानित सदन को अवगत कराया गया, उसमें जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में कहा गया। यहाँ पर उल्लेख किया गया कि एक कार्यवृत्त इस राज्य में जारी हुआ, जिसके माध्यम से मूल निवास प्रमाण–पत्र बनाने के लिए आवेदक के पिता और दादा को यहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक बताया गया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, ऐसा हुआ है। यह बैठक का कार्यवृत्त है, यह कोई दिशा–निर्देश नहीं होता। पिछली बार भी हमारे समक्ष यह बात उठी थी। इस सम्मानित सदन में यह विषय उठाया गया था तो उसमें तत्काल प्रभाव से 9 जुलाई, 2007 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी। उस बैठक में उन कठिनाईयों का उल्लेख हुआ। उन कठिनाईयों को आधार बनाते हुए 17 जुलाई, 2007 को एक पत्र भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया। इस पत्र में, जो भी कठिनाईयाँ इस राज्य के अन्दर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही थीं, उन कठिनाईयों का बिन्दुवार उल्लेख किया गया।

उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, "तहसील रुड़की, जनपद हरिद्वार में ऐसे कई परिवार, जो एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी पूर्व तहसील रुड़की में आकर बस गये

तथा यहाँ अपने भवन भी बना लिये हैं। इन 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर से व्यक्तियों को नौकरी अथवा शिक्षण संस्थानों हेतु इस राज्य में माइग्रेट किया है। ऐसी स्थिति में इन्हें मूल निवासी न मानकर इन्हें स्थायी निवास प्रमाण–पत्र तो निर्गत हो रहे हैं, किन्तु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो रहा है।" यह उस पत्र में लिखा गया। इस तरह से प्रत्येक कठिनाई का बिन्दुवार उल्लेख किया गया और यह पत्र भारत सरकार को 17 जुलाई, 2007 को हमारी वर्तमान सरकार ने प्रेषित किया। जिस कार्यवृत्त का उल्लेख माननीय सदस्य, श्री दिनेश अग्रवाल ने किया। माननीय सदस्य अभी यहाँ पर नहीं हैं, इस बात का जोर–शोर से उल्लेख कर रहे थे कि कार्यवृत्त के कारण दिक्कत आ रही है।

मैं कहना चाहता हूँ कि 22 नवम्बर, 2007 को यह निर्देश सरकार की तरफ से हो चुका है कि उस कार्यवृत्त को आधार न बनाया जाय। यह आदेश निर्गत हो चुका है। इसमें लिखा है, "28 जून, 2006 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैठकों के कार्यवृत्तों को शासनादेश की संज्ञा नहीं दी जा सकती है तथा कार्यवृत्त किसी शासनादेश में विद्यमान व्यवस्थाओं को अधिभावी रूप से प्रभावी नहीं करता है। अतः उक्त कार्यवृत्त को शासनादेश के रूप में संज्ञानित न किया जाय।"

यह लिख दिया गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार की मंशा है कि इस राज्य में संवैधानिक नियमों, भारत सरकार के दिशा निर्देशों और माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था चले। इस व्यवस्था को जारी करने में हमारी सरकार पूर्ण रूप से सजग है। और हमारी मंशा है कि यहाँ की जनता को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कठिनाईयों से जूझना न पड़े। इसका जितना भी सरलीकरण हो सकता है, वह किया जाना चाहिये।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी, सूचना पर आपका नाम नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, परसों जिस प्रकार से आपने सदाशयता का परिचय देते हुये यह विनिश्चय दिया था कि इस कठिनाई को देखते हुये सदन की एक संयुक्त समिति

बने, जो इसका निराकरण करे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। संयुक्त समिति बने और सभी विषयों का उल्लेख करे तथा वह समिति विभिन्न राज्यों में चल रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करे, उसी के आलोक में संविधान की सीमाओं में रहते हुये, न्यायालय के आदेशों की परिधि में रहते हुये निश्चित रूप से इसमें सरलीकरण हो, तो यह हमारा लक्ष्य है। श्रीमन्, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं प्रस्ताव भी करूँगा कि समिति का गठन किया जाय।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को माननीय संसदीय मंत्री जी, जो कि बहुत ज्ञानी हैं, ने कोट किया है, उसका गलत इंटरपिटेशन हुआ है। यदि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का इंटरपिटेशन गलत होगा तो मान्यवर, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपने वह नहीं पढ़ीं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने कहा कि समय–समय पर माननीय न्यायालयों से जो निर्देश हमें मिलते हैं, उनका ही उल्लेख मैंने किया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने कु0 माधुरी पाटिल वाले केस का ही तो उल्लेख किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जाति प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में जो निर्देश हमें न्यायालयों से प्राप्त होते हैं, मैंने उनका उल्लेख किया है, उनका विवरण नहीं दिया है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, माधुरी पाटिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि, एक मिनट में बात पूरी कर लूँगा बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उसमें कहा गया है कि "द पेरेन्ट गार्जियन ऑर दि कैण्डीडेट एज द केस में बी शैल फाइल एन एफीडेविट ड्यूली शो ऑन एण्ड एटेस्टेड बाई ए काम्पिलीटेंट गजिटेड ऑफिसर ऑर नॉन गजिटेड ऑफिसर विद पर्टीकुलर्स ऑफ कॉस्ट एण्ड सबकॉस्ट, ट्राइब, ट्राईबल कम्युनिटी पार्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ ट्राईबल ऑर ट्राईबल कम्युनिटीज, द प्लेस फ्राम व्हिंच ही ओरिजिनली हेल्स फ्राम, एण्ड अदर पर्टीकुलर्स एज मे बी प्रिसक्राइब्ड बाई द कनसर्निंग डाइरेक्ट्रेट" तो ओरिजनिली जहाँ से वह हो, वहाँ से ले आये तो आपका काम हो सकता है, यदि सरकार चाहे तो।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माइग्रेट को यह अनुमति नहीं देता है, ना तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इसकी अनुमति देता है और न हमारा अधिनियम।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो जजमेंट का ही पार्ट है, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिस रूल को प्रेसीडेंशियल आर्डर में जो कट ऑफ डेट है, उस डेट में वह किसी न किसी राज्य में तो निवास कर ही रहा होगा।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, यह तो और गम्भीर बात है कि पिछड़ी जातियों के लिए कट ऑफ डेट 95 या जो भी उन्होंने मानी हो, उस डेट को अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए माना नहीं जायेगा। कोई व्यक्ति यदि यहां पर 40 सालों से रह रहा हो, उसका तो आप मानेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़ा वर्ग को तो इसका लाभ मिल जायेगा लेकिन अनुसूचित जातियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पिछड़ा वर्ग के लिए प्रेसीडेंशियल रूल में 94 की कट ऑफ डेट है और अनुसूचित जातियों के लिए यह 50 या 51 की है। यदि कोई आदमी यहाँ पर 1960 में आया तो 40 साल के बाद भी उसे उसका लाभ नहीं मिल पायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ डेट होगी, अनुसूचित जातियों के लिए तो 1950 की है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ने भी इसी को स्वीकार किया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे राज्य के गठन के साथ ही साथ झारखण्ड और छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ है तो वहाँ पर तो ऐसी स्थिति नहीं है, वह भी तो प्रेसीडेंशियल रूल से चले होंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हो सकता है कि उनके पुनर्गठन विधेयक में कोई अन्य व्यवस्था हो, लेकिन हमारे यहाँ तो इसी को स्वीकार किया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद–3 की धाराओं के अनुसार, जिसके तहत हमारे राज्य का गठन हुआ, उसमें भी इसकी कट ऑफ डेट 1950 ही मानी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो एक सर्वदलीय समिति गठित कर दी जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके इस निर्देश का समर्थन कर रहा हूँ और प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वदलीय समिति बना दी जाय, लेकिन एक निवेदन यह भी करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक माह का समय निर्धारित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के मूल निवास प्रमाण–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र और जाति प्रमाण–पत्रों के निर्माण में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन कर दें और इसके लिए यह सदन सर्वसम्मति से आपको प्राधिकृत करता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़, श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी निजामुद्दीन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ और जो एक समिति गठित करने की बात है, उसके लिए आगे कार्यवाही के लिए निर्देशित करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने सर्किल रेट में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की है, इससे माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के गरीबों का जो भवन बनाने का सपना था, वह चकनाचूर हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि अपने प्रदेश में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग सेना में भर्ती हैं, उनका एक सपना होता है कि अपने परिवार के लिए देहरादून में, तराई में सड़क के नजदीक और छोटे कस्बों में भूमि खरीदकर अपने परिवार के लिए एक आवास का निर्माण करा सकें, लेकिन इस सरकार ने सर्किल रेट में अप्रत्याशित वृद्धि की है।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की नियमावली, 1997 में जो सम्पत्ति के मूल्याँकन का नियम है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए इस सरकार ने जो सम्पत्ति का मूल्याँकन हर दो वर्ष में होता है। जब हमारी सरकार थी माननीय अध्यक्ष जी, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में भी सम्पत्तियों का मूल्याँकन होता था और तद्नुसार सरकार सर्किल रेट बढ़ाती थी। लेकिन 10–15 प्रतिशत की ही वृद्धि की जाती थी। जिलाधिकारी, देहरादून ने 24 नवम्बर, 2007 को एक आदेश किया है, उसी तरह अन्य जनपदों के अधिकारियों ने आदेश किये हैं, उन्होंने सर्किल रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ाये हैं। जो 01 नवम्बर से 31 अक्टूबर, 2009 तक लागू होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सर्किल रेट बढ़ाने से केवल जमीन खरीदने का सपना ही नहीं टूटा है, बल्कि आवास बनाने का सपना भी टूटा है, यह इसलिए मुश्किल हुआ है कि सर्किल रेट बढ़ाने से जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर कोई 6 बिस्वा जमीन खरीदता है तो उस पर 20 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है।

मान्यवर, इस तरह से 5–6 गुना सर्किल रेट बढ़े हैं, इसमें काफी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ रही है। सरकार ने कहा था कि हम भू–माफियाओं का यहाँ से सफाया करना चाहते हैं। हम यहाँ की कृषि भूमि को कृषि के उपयोग में, आवासीय भूमि को आवास के उपयोग में और व्यवसायिक भूमि को व्यवसायिक उपयोग में लाना चाहते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सर्किल रेट बढ़ाने की जहाँ तक बात है इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इससे मात्र भू–माफियाओं और बिल्डरों को ही फायदा हुआ है, इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है, आम जनता आज परेशान है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ कि देहरादून स्थित कौलागढ़ में 10 हजार रुपया, काँवली रोड में 12 हजार, बिन्दाल पुल के पास 12 हजार रुपये, सहारनपुर रोड से मूसा स्टोर के आगे 15 हजार रुपये रजिस्ट्री बढ़ गई है। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा जो आदेश निर्गत किये गये हैं, उसके अनुसार देहरादून में अजबपुर खुर्द जो गाँव है, केदारपुरम की जमीन की कीमत भी 80–85 लाख रुपये प्रति बीघा हो गई है। मान्यवर, प्रदेश सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि हर गरीब नागरिक को छत मिले। लेकिन आज यह सरकार गरीब लोगों के सिर से छत छीनने का प्रयास कर रही है। मान्यवर, अगर स्टाम्प ड्यूटी अधिक पड़ेगी तो कोई गरीब जमीन नहीं खरीदेगा। यहाँ पर बहुमंजिली इमारतों की ऊँचाई 15–20 मीटर बढ़ा दी गई है, जबकि यह क्षेत्र जोन 4–5 में आता है, जो कि भूकम्प की दृष्टि से बहुत ही सेन्सटिव है। मान्यवर, 15–20 मीटर भवनों की ऊँचाई बढ़ाने से आम लोगों को फायदा नहीं हुआ है। जमीन की कीमत बढ़ा दी गई है, सर्किल रेट बढ़ा दिये गये हैं, स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया है, इसलिए वह मजबूर होकर बिल्डर के माध्यम से फ्लैट खरीदेगा। इस सरकार ने भू–माफियाओं के साथ ही नहीं बिल्डर्स के साथ एक अघोषित समझौता किया है।

मान्यवर, फ्लैट की हमारे उत्तराखण्ड की संस्कृति नहीं है, इसमें महानगरों के लोग रहते हैं। आज उत्तराखण्ड को एक बारुद के ढेर में खड़ा करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुमंजिली बिल्डिंग्स एक कॉलम में खड़ी होती हैं, अगर आप इतनी ऊँची बिल्डिंगें बनायेंगे तो वह धराशाई हो जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष जी, जब 21 मीटर ऊँची बिल्डिंगें बनेंगी और किसी दिन यदि भूकम्प के कारण ये बिल्डिंगें धराशाई होंगी तो केवल उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि उसके आस-पास जो भवन बने हैं वह भी धराशाई हो जायेंगे। उस दिन पूरा उत्तरांचल तहस-नहस हो जायेगा। आज पूरे उत्तरांचल की जनता बारुद के ढेर पर बैठी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए, पूरे प्रदेश की गरीब जनता, असहाय लोग और प्रदेश की महिलायें आज सदन की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि क्या उनका भी कभी मकान बनाने का सपना साकार हो पायेगा। मान्यवर, दो पंक्तियाँ मैंने इस सम्बन्ध में स्वयं लिखी हैं।

श्री प्रकाश पन्त-

आप भी कविताएँ लिखते हैं। माननीय कण्डारी जी भी कविताएँ लिखते हैं, वह आपके साढ़ू भाई हुए।

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, माननीय कण्डारी जी भी अच्छी कविताएँ लिखते हैं। माननीय कण्डारी जी के घर पर जब कभी मैं भोज पर जाता हूँ तो वे अपनी लिखी हुई कविताओं का पोथन्ना मुझे दिखाते हैं। वे चाहते हैं कि मेरी कविताएँ छप जाएं। उनके द्वारा लिखी गई कविताएँ बहुत अच्छी हैं। आप तो पर्यटन मंत्री हैं किसी विभाग से इनके द्वारा लिखी गई कविताएँ छपवा दें। उन्हें भी किसी विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 की उपाधि मिल जायेगी। (हँसी) अभी श्रीलंका सरकार द्वारा माननीय पोखरियाल जी को उपाधि प्राप्त हुई है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

इसका मतलब आपका सम्पर्क भोजनादि के माध्यम से कभी-कभी होता रहता है। (हँसी)

श्री अध्यक्ष-

साढू भाई का ध्यान रखना पड़ता है। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दोनों बहनें हैं तो दीदी का निर्देश होता है तो मुझे समर्पण करना ही पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार कहा है कि राम भले ही सतयुग का न रह जाए लेकिन लक्ष्मण सतयुग का ही रहेगा। (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, दो पंक्तियाँ मैंने भी इस गूंगी–बहरी सरकार के लिए लिपिबद्ध की हैं। ताकि यह सरकार जाग सके और गरीबों की सुध ले सके। यह सरकार गरीबों को भूल गई है और जो सरकार गरीबों का ध्यान नहीं रखती है, वह दुबारा सत्ता में नहीं रह पाती और विपक्ष में भी रहने लायक नहीं रहती है।

मान्यवर, प्रदेश की जनता, कभी इस तरफ बैठाती है तो कभी उस तरफ, यह तो चलता रहेगा। लेकिन आपने इस प्रदेश की गरीब जनता को आवास के लिए एक सुरक्षित छत नहीं दी है, कभी गरीब जनता को भी इसका अवसर मिलेगा। मान्यवर, सरकार ने जिन–जिन लोगों के सिर से छत छीनी है, वह जनता इस गूँगी सरकार को भी सत्ता में बैठने का अवसर नहीं देगी। मान्यवर, इस सरकार के बारे में, मैं कविता की एक छोटी पंक्ति कहना चाहता हूँ। (शोर) जो इस प्रकार से है–

"हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है,
दर्पण फरेबियों को दिखाने की बात है,
मैं मानता हूँ सच को कोहरे ने ढक लिया है,
लेकिन इस आवरण को हटाने की बात है,
बहकायेगा हमें तुम्हें कब तक कोई यहाँ,
इतना यकीन खुद को दिलाने की बात है,
जो था जहाँ वहीं रहा बदले ना रात दिन,
केवल जमीन पर आसमान लाने की बात है।"

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सरकार के लिए इस कविता के द्वारा उल्लेख किया है। गूँगी–बहरी सरकार को भी आवरण ने ढक लिया है। मान्यवर, इस पर आपका संरक्षण चाहिए। आप इस पीठ से जनता के हित में एक विनिश्चय दे दें। मान्यवर, इस सरकार में जिस प्रकार से भवनों के निर्माण के लिए 21 मीटर ऊँचाई तक भवन बनवाने की स्वीकृति दी जा रही है और जमीनों के सर्किल रेट बढ़ा दिये गये। यह राज्य की जनता के हित में नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, धन्यवाद।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा जो तमाम महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख यहाँ पर किया है, उससे मैं सहमत हूँ। वास्तव में जो बिल्डिंग की ऊँचाई बढ़ाई गई, वह यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और भूकम्पीय स्थिति को देखते हुए उचित नहीं है। मान्यवर, आज भूमि के सर्किल रेट बेतहाशा बढ़ा दिये गये हैं। जमीनों के व्यवसायिक सर्किल रेट पूर्व सरकार द्वारा 2003 में 7500 वर्ग मीटर की दर से तथा 2005 में 8500 वर्ग मीटर की दर से निर्धारित किये गये थे किन्तु वर्तमान में 11500 वर्ग मीटर की दर कर दी गई है।

मान्यवर, अभी मेरे दोस्त ने 3000 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से इजाफा की बात कही है तो यह न्यायोचित नहीं है और न ही इसका कोई मानक है और न ही इसका कोई आधार है। मान्यवर, हमें तो ऐसा लगने लगा है कि हम अपनी बात को किससे कहें इसलिए हम इसको सदन में कह रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर कहीं कोई मानकों का उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर जो यह व्यवसायिक भवनों की श्रृंखला में बात आयी है तो उसमें हम मसूरी का उदाहरण दे रहे हैं कि वही रेट जे0पी0 होटल के लिए रखा है और वही रेट होटल सेवाय के लिए रखा गया है और वही रेट छोटे होटलों के लिए रखा गया है। इसमें होटल का डिस्क्रेपशन नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कि यह कोई अलग चीज हो। मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यह आघात है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी को कोई राहत दी गयी हो कि जैसे एम0आई0जी0 आवास के लिए इतना एल0आई0जी0 आवास के लिए इतना और छोटे आवास के लिए इतना सर्किल रेट होगा और यह राहत दी जा रही है।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए इसमें पुनर्विचार करना चाहिए। चाहे वह सर्किल रेट की दर हो या फिर भवनों की ऊँचाई हो। इस पर पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। यह आम आदमी के हित में नहीं है। मान्यवर, यह बात सही है कि इस राज्य का गठन शायद पूर्ववर्ती प्रदेश में हम लोगों के लिए यही कहा गया कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इसकी परिकल्पना की गयी। आज आर्किटेक्ट को जिसमें कम से कम भूकम्प की छत्रछाया हो उसके आधार का संज्ञान लेना चाहिए और जोन–4 और जोन–5 का भी संज्ञान लेना चाहिए। इसके लिए विशेष डिजाईन होना चाहिए। मान्यवर, हिमाचल नहीं तो उत्तरांचल को तो डिजाईन में लाना चाहिए। मान्यवर, अभी महायोजना बनी

नहीं है, भवनों की ऊँचाई आम जन के लिए नहीं है, अगर यह आम जन के लिए होता तो अपने आप में छोटे–छोटे मकानों का एक मॉडल बनता। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हाई राइज बिल्डिंग पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने उत्तराखण्ड राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा सर्किल रेट पर बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में अपनी बात कही तो मैं बहुत लम्बी–चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से यह बात कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा सर्किल रेट अप्रत्याशित रूप से और बेतहाशा बढ़ाया गया है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सर्किल रेट बढ़ाया गया है यह जल्दबाजी में लिये गये निर्णय का परिणाम है। श्रीमन्, आपने स्वयं देखा इस बात को कि जनपद देहरादून में कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ा ही नहीं जिसे बाद में संशोधित किया गया, तो यह इस बात का द्योतक है संकेत है कि सरकार द्वारा सर्किल रेट बढ़ाने का कार्य जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि सूबे के अन्दर पहले भवनों की ऊँचाई बढ़ाई गई और उसके बाद सर्किल रेट बढ़ाया गया है, ऐसा लगता है कि भू–माफिया और सरकार का आपसी गठजोड़ है। मान्यवर, सरकार ने गरीब व्यक्ति के सर से छत उठाने का काम किया है, तो यह निश्चित रूप से घोर निन्दनीय है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो वृद्धि की गई है उसे तत्काल प्रभाव से कम किया जाय। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश इस वृद्धि से आन्दोलित है और यह बिन्दु अविलम्बनीय है और बहुत ही लोकमहत्व का है, तो मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान सम्मानित सदस्यगणों ने आकर्षित किया है और जिस विषय को अभी यहाँ पर उठाया गया और जिस आदेश का उल्लेख माननीय सदस्यगणों ने किया, वह 1 मार्च, 2007 को निर्गत किये गये आदेश से सम्बन्धित है और 1 नवम्बर, 2007 को नया सर्किल रेट निर्गत किये जाने का आदेश दिया गया। श्रीमन्, मैं संक्षेप में उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। पिछले तीन वर्षों में जनपद हरिद्वार, जनपद देहरादून, जनपद नैनीताल और जनपद ऊधमसिंह नगर इन चार जनपदों में अचल सम्पत्ति के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई

है और वर्ष 2005 में जारी की गई मूल्यांकन सूची में यह दर परिलक्षित नहीं हो पाई थी। श्रीमन्, अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण में हस्तांतरित भूमि का मूल्याँकन सर्किल रेट पर किये जाने की व्यवस्था वर्ष 1969 से प्रारम्भ हुई, यह आज की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 1969 में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, उत्तर प्रदेश टैक्सेसन लॉ (संशोधन) अधिनियम 1969, जो (यू0पी0 एक्ट नम्बर 9 वर्ष 1969) द्वारा एक नई धारा–47 ए दिनाँक 01–10–1969 से जोड़ी गयी, जिसके अनुसार हस्तान्तरण पत्र की लिखत इत्यादि पर यदि सम्पत्ति का मूल्याँकन न्यूनतम दर से किये जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई। मान्यवर, धारा–47 ए की उपधारा (1) के अनुसार यदि किसी सम्पत्ति का बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय हो तथा इस अधिनियम के बनाये गये किसी नियम के अनुसार विक्रित सम्पत्ति का बाजारी मूल्य निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम है तो उप निबन्धक उसे ऐसे सम्पत्ति के बाजारी मूल्य और उस पर देय उचित मूल्य के निर्धारण के लिये कलक्टर को सन्दर्भित करेगा। मान्यवर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली–1942 के नियम–340–352 तक के प्राविधानों को उपास्त करके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प, सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 जारी की गई जो दिनाँक 15–07–1997 से लागू की गई, जो उत्तराखण्ड में भी लागू है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी प्रत्येक दो वर्षों में जिलाधिकारियों को सर्किल रेट निर्धारण हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं। वर्ष 2007 के शासनादेश संख्या–230/(1) जो दिनाँक 18–09–1997 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जिलाधिकारियों को विभिन्न जनपदों में भूमि के मूल्याँकन हेतु मूल्याँकन सूची जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

मान्यवर, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सर्किल रेट का आधार क्या है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित अभिलेखों में जिनमें व्यक्त किये गये मूल्य कांसीड्रेशन के स्थान पर सम्पत्ति के मूल्य पर मूल्यानुसार मार्केट वेल्यू शुल्क प्रभारी है। इस प्रकार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण अभिलेखों में विक्रित भूमि, भवन, वाणिज्यिक सम्पत्ति विक्रय करते समय अभिलेखों में सम्पत्ति का सर्किल रेट व्यक्त किया जाना अनिवार्य है। मान्यवर, यह सर्किल रेट दो वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है तथा दो वर्ष बाद इनका पुनरीक्षण होता है तथा ये दरें न्यूनतम दरें होती हैं।

मान्यवर, जैसा कि यहाँ पर देहरादून का जिक्र किया गया, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि देहरादून क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में केदारपुर, अघोईवाला, इन्दरपुर, धोरण खास, चौड़ीवाली, शाहनगर, चकशाह नगर, कण्डौली, अजबपुर कलाँ का सर्किल रेट पूर्व में 500 वर्ग मीटर तक सड़क पर निर्धारित दर 1300 थी, अब यह 3000 है, इसी तरह यहाँ पर व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मीटर पूर्व में 3800 थी, अब यह 5000 है। मान्यवर, इस क्षेत्र में माजरा, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, कौलागढ़, गढ़ी कैंट, थानी गाँव, प्रेमनगर, राजपुर माफी आदि में 500 वर्ग मीटर तक सड़क से 100 मीटर दूर निर्धारित दर पूर्व में 1200 थी अब यह 2500 है। इस क्षेत्र में व्यवसायिक दर प्रति वर्ग मीटर पर 3800 से 5000 कर दी गयी है। इसी प्रकार अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान की दर अस्पताल, धर्मशाला, मनोरंजन स्थल जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक अधिनियम के अन्तर्गत है प्रति वर्ग मीटर किराये की दर पहले इन क्षेत्रों में 45 रुपये थी और अब यह 50 रुपये है। इस तरह से देखा जाय तो कोई बेतहाशा वृद्धि नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, हरिद्वार में बढ़े हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसके बढ़ने के कारणों को मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। यह बढ़ने का आधार क्या है। माननीय सदस्य ने एक सूचना ऊधमसिंह नगर की भी दी। इसको समझने का प्रयास करें कि बढ़ने का आधार क्या था। जैसे रुद्रपुर का प्रकरण है, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर में एसोटेक बिल्डर्स का मामला है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपने 1200 बताया था, यह कहाँ पर है?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 1200 से 2500 हो गया है। यह कॉलम 4 में उल्लिखित है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अभी तो 3000 है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह 500 वर्ग मीटर तक, सड़क से 100 मीटर तक रु0 2500 निर्धारित है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं राजस्व मंत्री था तो 10 प्रतिशत की वृद्धि हर दूसरे वर्ष होती थी। 1997 का सम्पत्ति मूल्याँकन का उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम है, उसके आधार पर मूल्याँकन किया जाता है। इसके अनुसार 10 प्रतिशत रेट बढ़ते हैं। आपने इसे 1250 से 3000 कर दिया है, इस प्रकार यह ढाई गुना बढ़ गया है। हमारी माँग है कि 10 प्रतिशत होना चाहिए। हमारी सरकार ने जो सर्किल रेट बढ़ाये हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सर्किल रेट बढ़े हैं, उनके आँकड़े देख लीजिए, दो साल में कितने प्रतिशत बढ़ता था। हम सदन में यह बात रखना चाहते हैं कि इसे 10 प्रतिशत होना चाहिए था। आप 20 प्रतिशत कर देते। लेकिन आपने मिनिमम 100 प्रतिशत तथा मैक्जिमम 300 प्रतिशत तक सर्किल रेट में वृद्धि कर दी है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, हरिद्वार में 400 प्रतिशत तक बढ़े हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनके बढ़ने का आधार क्या है, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। आपने कहा 100 प्रतिशत तक बढ़े हैं। निश्चित रूप से बढ़े होंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, बढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि बढ़े होंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में एसोटेक बिल्डर्स, सुपरटेक बिल्डर्स के पक्ष में सिडकुल द्वारा दिनाँक 27–08–2007 को दस्तावेज नं0 2537 द्वारा ग्राम–जगतपुर व गूड़ारानी तहसील–किच्छा स्थित 42.543 एकड़ अर्थात् 172171.52 वर्ग मीटर भूमि 90 वर्ष की लीज पर मैसर्स एसोटेक सुपरटेक, ज्वाइन्टवेंचर को दी गयी है। इसमें जो प्रीमियम निर्धारित किया गया, वह रुपये 69 करोड़ 74 लाख 66 हजार 832 है तथा इसका लीज रेंट रुपये 34 लाख 87 हजार 334 अंकित है।

डा0 हरक सिंह रावत

मान्यवर, वृद्धि के मानक क्या हैं? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रीमियम के आधार पर भूमि की दर रु0 4051 प्रति वर्ग मीटर आती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, एक्सेप्शन्स तो होते ही हैं। लेकिन सर्किल रेट निर्धारित करने के मानक क्या हैं?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कृपया मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए। आपकी बात का जवाब भी अवश्य दूँगा। दिनाँक 27–08–2007 को ग्राम–जगतपुर, तहसील–किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित आवासीय भूखण्ड की दर रु0 2000 प्रति वर्ग मीटर तथा ग्राम–भूड़ारानी स्थित आवासीय भूखण्ड की दर रु0 1500 प्रति वर्ग मीटर सर्किल रेट के अनुसार निर्धारित थी।

मान्यवर, लेकिन सर्किल रेट में संशोधन दो वर्ष के अन्दर होने चाहिए तथा विगत वर्षों में 2005 से इसका निर्धारण नहीं हुआ था, इसके निर्धारण के जो मानक हैं, वह मैंने आपको बताये थे।

डा0 हरक सिंह रावत

मान्यवर, किस आधार पर सर्किल रेट बढ़ाये जाते हैं, उससे अवगत करा दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, "नियमावली के नियम–4 में भूमि के मूल्याँकन, गैर वाणिज्यिक भवन के निर्माण मूल्य के लिए न्यूनतम दर और वाणिज्यिक भवन के किराये की न्यूनतम दर नियत करने हेतु जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। जिसके अनुसार जिले का कलेक्टर द्विवार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति एकड़/प्रतिवर्ग मीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों का न्यूनतम मासिक किराया निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये करता है।" यह इस प्रकार से है, "भूमि का वर्गीकरण, सिंचाई सुविधा की प्राप्यता, सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कारखानों, शैक्षिक संस्थाओं, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों से सामीप्य और इसके नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति के संदर्भ में अवस्थित। गैर वाणिज्यिक भवन की स्थिति में भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागत, मजदूरी प्रभार, निर्माण का प्रकार, भवन की आयु और मूल्य ह्रास तथा वाणिज्यिक भवन की स्थिति में परिक्षेत्र में विद्यमान किराया और परिक्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप की प्रकृति।

जिले का कलेक्टर स्वप्रेषण से या इस निमित्त उसको दिये गये आवेदन पत्र पर, उपनियम–1 के अधीन उसके द्वारा नियत भूमि के या गैर वाणिज्यिक भवन के

न्यूनतम किराये के बारे में लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यथास्थिति, न्यूनतम मूल्य को किराये के नियत किये जाने से दो वर्ष की अवधि के भीतर पुनरीक्षित कर सकता है।" इसके आधार पर जिस दर से वहाँ भूमि का हस्तान्तरण अभिलिखित हुआ है, उसके आधार पर रेट का निर्धारण होता है, यही इसका मूल आधार होता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब मैं राजस्व मंत्री था तो मेरे शासनकाल में भी सर्किल रेटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और उस समय माननीय पन्त जी, माननीय अजय भट्ट जी और अन्य तमाम साथियों ने इस बात को यहाँ पर उठाया था और मैंनें कहा था कि 2 वर्ष में इन रेटों का आंकलन होता है और जिलाधिकारी आंकलन करने के बाद सर्किल रेट में वृद्धि करते हैं। लेकिन मान्यवर, यदि सर्किल रेट में वृद्धि 10, 20 या 30 प्रतिशत हो तो ठीक है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, 50 प्रतिशत भी हो जाये तो ठीक है, यहाँ तो 400 प्रतिशत बढ़ा दिया।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दस, बीस या तीस प्रतिशत की वृद्धि हो तो चल सकता है लेकिन यहाँ तो 100 से लेकर 400 प्रतिशत की एकाएक वृद्धि की गई है। अभी माननीय पन्त जी ने भी कहा कि बाजार भाव से करेंगे। मान्यवर, कोई भी आदमी जो जमीन खरीदता है, चाहे वह किसी भी आदमी से जमीन खरीदे, लेकिन मैं नहीं समझता और आश्वस्त होकर कहना चाहता हूँ कि वह जमीन जिस भाव पर खरीदता है, उसी भाव पर रजिस्ट्री नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 400 प्रतिशत वृद्धि के साथ किसी ने रजिस्ट्री नहीं कराई होगी तो सरकार ने कैसे बाजार भाव तय कर दिया। आप मुझे यहाँ पर 10 रजिस्ट्री ऐसी दिखा दीजिये, जैसे डालनवाला या अजबपुर खुर्द में किसी ने इतने ज्यादा रेट पर रजिस्ट्री कराई हो, तो फिर कैसे बाजार भाव तय हो गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तो अघोषित हस्तान्तरण हुआ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, अघोषित हस्तान्तरण का मापन करने का कोई मानक नहीं होता है और जो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री हुई होगी, उसी के आधार पर तो बाजार भाव

तय होंगे। तो मैं यह कह रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में इतनी वृद्धि, कहीं–कहीं तो 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो इनका बाजार भाव बिना रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री के कर दिया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि मानक के आधार पर होता है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, तो बाजार भाव क्या है?

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने स्वयं भी स्वीकार किया कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्री अधिक दामों में होती है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने वही तो उद्धरण दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 100 में से 10 रजिस्ट्री भी बाजार भाव पर हुई हों तो बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला, माननीय श्री प्रीतम सिंह एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का परित्याग करता हूँ।

(तत्पश्चात् माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर चले गये।)

(माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन में वापस आ गये।)

* श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हर माता–पिता का स्वप्न होता है कि उनके बच्चे पढ़–लिखकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनें और हर बच्चे का सपना होता है कि उसे पढ़–लिखकर रोजगार मिले, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। यह बेरोजगारी का मुद्दा आज से नहीं वर्षों से रहा है। यह चिन्तनीय विषय है कि जो सपना पिछली सरकार का था कि औद्योगीकरण करके चाहे ऊधमसिंह नगर में सिडकुल के माध्यम से, हरिद्वार में, नैनीताल में सैकड़ों उद्योग लगें और पिछली सरकार ने भी कहा था कि हम इसमें 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देंगे और वर्तमान सरकार भी कह रही है कि हम 70 प्रतिशत रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा द्वारा ठेकेदार युवाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनसे 12 से लेकर 18 घंटे तक कार्य लिया जा रहा है और जब कोई इन्क्वायरी होती है, जाँच होती है सरकार के द्वारा तो मान्यवर, जो वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के वर्कर हैं उनको कम्पनी में गिनकर उनको प्रतिशत के आँकड़ों में जोड़ दिया जाता है। हमारा कहना है कि 70 प्रतिशत यहाँ के युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन धरातल में ऐसा नहीं है। मेरा आग्रह है सरकार से कि इसमें सख्त कार्यवाही की जाये और वास्तव में जो फैक्ट्री के वर्कर हैं उसमें 70 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाये। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर विभाग में बेरोजगार हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि पहले प्राईमरी विद्यालयों में 5 अध्यापक होते थे, अब इसे घटाकर 4 कर दिया गया है। हर आई0टी0आई0 में अनुदेशक नहीं हैं। (व्यवधान) इसलिए मेरा आग्रह है कि यह ज्वलंत मुद्दा है, सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय गोपाल सिंह राणा जी की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह बहुत ही गम्भीर और अहम मसला है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी आज बेरोजगार है, हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके भविष्य को लेकर के हम चिन्तित हैं। यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। और वर्तमान सरकार ने और पिछली सरकार ने यह घोषणा की है कि 70 प्रतिशत रोजगार जल विद्युत परियोजनाओं और उद्योगों में यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी किया गया है। जो जल विद्युत योजनायें चल रही हैं वहाँ का अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि अब तक वहाँ कितने कुशल और कितने अकुशल बेरोजगारों की आवश्यकता है, कितने पद रिक्त हैं, यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड की संख्या कितनी है। जो रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत हैं उनके नाम मँगा कर उन्हें वहाँ पर रोजगार दिया जाय। मान्यवर, 70 प्रतिशत रोजगार के लिए पीठ से आदेश होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही हमारे जो पढ़े-लिखे प्रशिक्षित ट्रेन्ड बेराजगार हैं जैसे एन0टी0टी0 वाले हैं। वह विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हैं, वह एन0सी0आर0टी0 से एप्रूव्ड हैं। जब आप अप्रशिक्षित शिक्षा मित्र को रख सकते हैं तो इनको क्यों नहीं लिया जा रहा है, उन्हें भी नौकरी में लिया जाना चाहिए।

मान्यवर, जूनियर हाईस्कूल में अध्यापकों की संख्या-5 से घटाकर 4 कर दी गई है। 4 अध्यापकों में लास्ट कम और फर्स्ट गो वाली प्रणाली रखी गयी है। इसमें प्रधानाध्यापक, गणित और विज्ञान के अध्यापक आ रहे हैं, अगर इनको हटाया गया तो विद्यालय कैसे चल पायेगा। हमारे आई0टी0आई0 विद्युत वायरमैन प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, वह आज भी सरकार की ओर रोजगार के लिए टकटकी लगाये हुए हैं। इसी तरह से जो हमारे ट्रेन्ड फिजियोथैरिपिस्ट, लाइब्रेरियन्स हैं इनका भी रिक्त पदों पर सेवायोजन होना चाहिए। हमारे जो एम0 लिब एवं बी0 लिब हैं उनकी रोजगार की आयु जा रही है, इनका भी रिक्त पदों पर सेवायोजन होना चाहिए। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर मैं चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया और ये सूचना जो माननीय सदस्यगणों द्वारा नियम-310 के अन्तर्गत दी गई थी, आपने सदाशयता का परिचय देते हुए इसे स्वीकार किया और इसे नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने का निर्देश दिया था। यह सूचना राज्य के रोजगार से जुड़े हुए विषय पर दी गई है। इस पर सरकार का वक्तव्य देने से पूर्व विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस सूचना में पाँच विभाग शामिल हैं।

मान्यवर, नियम–310 तथा नियम–58 में स्पष्ट रूप से प्राविधान है कि सुस्पष्ट और सुनिश्चित विषय लिया जा सकता है। लेकिन यह विषय जो कि स्थानीय बेरोजगारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसकी ग्राह्यता पर बोलते समय औद्योगिक इकाईयों पर दिये जा रहे रोजगार के विषय को गम्भीरता से उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाईयों में प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को 70 प्रतिशत तक सेवायोजन दिया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2005 एक शासनादेश निकाला गया था और शासनादेश के आधार पर इन सभी औद्योगिक इकाईयों में यह सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया कि 70 प्रतिशत रोजगार इन औद्योगिक आस्थानों में मिल जाए। इस शासनादेश का अनुपालन सही ढंग से हो इसके लिए यह व्यवस्था की गई कि इन औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित करते समय यह शर्त भी रखी गई कि प्रदेश के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिले। लीज में भी यदि भूमि दी गई तो यह शर्त रखी गई।

उद्योग निदेशालय के 11 मई, 2007 से विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त केन्द्रीय पूँजी निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीकरण के लिए इकाईयों से आवेदन पत्र प्राप्त करते समय इस आशय का शपथ पत्र भी लिये जाने के निर्देश दिये गये। सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदेश की औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष प्रोत्साहन पैकेज में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त यथा ब्याज प्रोत्साहन सहायता, आई०एस०ओ० प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रोत्साहन सहायता की अनुमन्यता हेतु आवेदन इकाई से न्यूनतम 70 प्रतिशत सेवायोजन रोजगार स्थानीय व प्रदेश के लोगों को दिये जाने का शपथ पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है और इन सहायताओं की स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी जब यह उद्योग वांछित शर्तें पूर्ण करेंगे।

इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उद्यमियों से आई०ई०एम० फाइल करते समय इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाता है। शासनादेश का पालन ठीक तरीके से हो इसके लिए हमने जिलाधिकारियों द्वारा एक समिति गठित की है। जिसमें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र सहायक श्रमायुक्त एवं जिला सेवायोजन अधिकारी को नामित किया है। ताकि यह समिति औद्योगिक आस्थानों में स्थापित हो रहे उद्योगों में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। माननीय केदार सिंह रावत और माननीय गोपाल सिंह जी ने शिक्षा विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें कहीं उसके बारे में विस्तार से उल्लेख करने की

आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, सरकार द्वारा 100 छात्रों की संख्या पर चार अध्यापक, 101–140 छात्रों की संख्या में पाँच अध्यापक, 141–180 छात्रों की संख्या में 6 अध्यापक, 181–220 में सात अध्यापक और 220–260 की संख्या में 8 अध्यापकों का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार छात्रों के अनुपात के आधार पर अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

मान्यवर, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जो एन0टी0टी0 के शिक्षक हैं, वे शिक्षक कक्षा एक से नीचे की कक्षाओं के होते हैं। प्रदेश के ऐसे शिक्षकों को मान्यता नहीं दी गयी है, इसलिए इन शिक्षकों को रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है। मान्यवर, सरकार राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सूचनाएँ भी माँगी जा रही हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है, लेकिन सरकार प्रदेश की जनता को बेरोजगार कर रही है। आज पूरें प्रदेश के नौजवानों के मन में एक ही बात है कि यह राज्य केवल नेताओं के लिए बना है तथा उन्हीं को रोजगार दे रही है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन पाँच बिन्दुओं का उल्लेख यहाँ पर किया है, उन बिन्दुओं पर सरकार द्वारा कहीं पर स्पष्ट रूप से राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं कही है। जबकि सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए था। सरकार ऐसा नहीं कर रही है, आज बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो मेरे पास एक कार्ड है, उसमें शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण कार्ड छापा गया है। इस कार्ड में विधान सभा क्षेत्र के विधायक का नाम नहीं लिखा गया है। मैं इस कार्ड को आपके पास भिजवा रहा हूँ। मान्यवर, इस निमंत्रण कार्ड में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी का नाम रखा गया है और अध्यक्षता में हरिश्चन्द्र जोशी, सचिव, शिक्षा का नाम छपा है जबकि किसी भी विधान सभा क्षेत्र में यदि कोई कार्यक्रम का उद्घाटन होता है तो उस उद्घाटन में अध्यक्षता उस क्षेत्र के विधायक द्वारा होनी चाहिए। मान्यवर, यह बड़ा दुख का विषय है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में भी पीठ से इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि राज्य के जिस विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम या उद्घाटन समारोह हो

तो वहाँ के माननीय सदस्य द्वारा ही उस समारोह की अध्यक्षता की जाती है। आज भी इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो यह गलत है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, हरिद्वार क्षेत्र की जनता यह नहीं जानना चाहती है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है या फिर जिलाधिकारी कौन है या कमिश्नर कौन है। वह यह जानना चाहती है कि गन्ना मंत्री कौन है और मान्यवर, सौभाग्य से श्री मदन कौशिक जी जो काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं उसी क्षेत्र के हैं गन्ना मंत्री हैं। वे पूर्व में गन्ना किसानों की समस्याओं को सदन में काफी प्रखर रूप से उठाते थे। उन्हें जो विधान सभा की तरफ से ब्रीफकेस मिला था उसमें गन्ना लाते थे (हँसी)। किन्तु जब से माननीय कौशिक जी गन्ना मंत्री बने हैं वे गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति अनजान से हो गये हैं।

मान्यवर, जब हरिद्वार के लोगों को यह पता चला कि यहाँ के विधायक को गन्ना मंत्री बनाया गया तो खुशी की लहर दौड़ गयी थी लेकिन अफसोस की बात है कि जब वे प्रतिपक्ष में थे तो बहुत संवेदनशील रहे और जब से उधर बैठे हैं उनकी संवेदनशीलता खत्म हो गयी और आज उनके ब्रीफकेस में कुछ और है। मान्यवर, आज की तारीख में पेराई सत्र 2006–07 का भुगतान 6 सहकारी चीनी मिलों का तो किया गया है लेकिन 4 प्राइवेट मिलों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? जिस क्षेत्र में ये 4 प्राइवेट मिल लगी हैं वहाँ के किसानों का क्या कसूर है कि वहाँ गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है? क्या यही कसूर है कि वहाँ पर प्राइवेट मिलें लगी हुई हैं? सरकार जिस प्रकार से सरकारी चीनी मिलों को सहायता दे रही है तो प्राइवेट मिलों को क्यों नहीं सहायता दी जा रही है? सरकार अगर वहाँ पर सरकारी काँटे लगा दे तो किसान वहीं पर अपने गन्ने देगा। इसमें किसानों का क्या कसूर है?

मान्यवर, अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आया। वह गुमराह करने वाला वक्तव्य है। मान्यवर, अभी भी लगभग डेढ़ लाख किसान परिवारों का गन्ने का भुगतान चीनी मिलों पर बकायां है। सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोचती है। वहाँ के गन्ना के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। किसान आत्महत्या करने को तैयार है। मान्यवर, जब किसान आत्महत्या करता है तो उस पर जाँच आयोग बिठा दिया जाता है। मान्यवर, सरकार जाँच आयोग को तो पैसा देने को तैयार रहती है जाँच कराने के लिए, लेकिन किसानों को पैसा नहीं देती है। मान्यवर, बार–बार हर बात पर उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है तो हम आपको बता

दें कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें चालू हो गयी हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं चलीं? जबकि आधे से अधिक यहाँ पर सरकारी मिलें हैं वे क्यों नहीं चलीं? मान्यवर, चीनी मिलों के न चलने के कारण गेहूँ की फसल नहीं बोई जा रही है, जिससे पशु आहार का संकट उत्पन्न हो गया है और आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट पैदा हो जायेगा तो फिर माननीय खाद्यान्न मंत्री जी की तबियत खराब हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह डेढ लाख किसानों के परिवारों की समस्या है आखिर उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? मान्यवर, गेहूँ की कमी होने पर गेहूँ बाहर से मँगाया जाता है लेकिन सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है कि गेहूँ क्यों नहीं बोया जा रहा है। मान्यवर, किसानों के ऊपर जो ड्यूज हैं उनके ऊपर सरकार सरचार्ज लगाती है। जो वे कर्ज लेते हैं सोसाईटी से या बैंक से तो सरकार उन पर ब्याज लगा देती है लेकिन जब सरकार उनका भुगतान नहीं करती है तो क्यों नहीं उनको ब्याज दिया जाता है। केन्द्रीय एक्ट में यह प्राविधान किया गया है कि यदि 15 दिन के अन्दर उनका भुगतान नहीं दिया जाता तो सरकार चाहे तो उसका ब्याज दे सकती है। इस चीज को सरकार के ऊपर निर्भर कर दिया गया कि 'चाहे तो'। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? मान्यवर, मंत्री जी का चाहना किसानों की तरफ क्यों नहीं होता। उनका चाहना केवल चीनी मिलों की ओर होता है। इथनाल और को–जनरेशन चीनी मिलों में क्यों नहीं लगाई जा रही है जिससे चीनी मिलों को वाइबिलिटी मिल जाती है।

मान्यवर, ये आज कह रहे हैं कि मसौदा तैयार किया जा रहा है। मान्यवर, उत्तरांचल के डेढ़ लाख परिवार भुगतान के लिए बैठे हैं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

गन्ना मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी ने कहा कि डेढ़ लाख परिवार हैं तो इस व्यवसाय से और भी लाखों परिवार जुड़े हैं। मान्यवर, आज सुबह प्रश्नकाल में यह विषय आया था, वर्तमान समय में पूरे राष्ट्र में चीनी उद्योग के लिए बड़ा संकट है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस संकट में यह सरकार जो श्री खण्डूड़ी जी के नेतृत्व में चल रही है, वह किसानों

के प्रति संवेदनशील है और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण जानते हैं कि शायद यह पहली सरकार होगी जिसे केवल 8 महीने सरकार बने हुये हैं और इस चीनी उद्योग पर संकट आए हुए भी 8–10 महीने हुये हैं, जिस समय चीनी का भाव 18 सौ था और अचानक घटते हुये 12 सौ पर आया है, लेकिन जब सरकार का गठन हुआ तो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जिससे आप भी अवगत हैं कि जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलानी पड़ेगी और चीनी मिल चली भी। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बात को धैयपूर्वक सुनना चाहिए। मान्यवर, शायद पूरे भारतवर्ष में उत्तराखण्ड राज्य ऐसा था जिसमें मिल उस समय तक चली जिस समय तक किसान के खेत में गन्ना था। मान्यवर, वर्ष 2002–03 में इस प्रकार का संकट आया था, उस समय केन्द्र में जो सरकार थी उसने उस समय निजी क्षेत्र की जितनी चीनी मिलें हैं, तो पूरे देश में चीनी मिल को बहुत बड़ा सोफ्टलोन स्वीकृत किया था, जिसमें 43 करोड़ रुपये उत्तराखण्ड को 4 प्रतिशत ब्याज पर मिला, आज केन्द्र सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तराखण्ड राज्य को नहीं मिला, लेकिन आज यह संकट यहाँ नहीं है। मान्यवर, सुवह भी कहा था, फिर आँकड़े देते हैं कि 706.71 करोड़ रुपये का इस सीजन में गन्ना खरीदा जिसके सापेक्ष 665 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं, 41 करोड़ का बैलेंस है, दूसरी ओर 6 प्रतिशत बाकी है।

मान्यवर, हमारे जो समीपवर्ती राज्य हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा में भी यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में 13 सौ 68 करोड़ रुपया बैलेंस है, जो 13 प्रतिशत से ज्यादा है। मान्यवर, हम निगम क्षेत्र शून्य कर चुके थे पर वहाँ 25 प्रतिशत शेष है। और हम सहकारी क्षेत्र शून्य कर चुके हैं तो वहाँ 14 प्रतिशत देय है। आज यह स्थिति है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। जो हमारे निगम और को–आपरेटिव क्षेत्र की मिलें हैं, उनको तत्काल चलाने के निर्देश हमने दिये हैं। साथ ही इन मिलों को उन्हीं तिथियों पर चलाने के लिए निर्देशित किया है, जो तिथियाँ पिछले समय में थीं।

(माननीय काजी मौ0 निजामुदीन द्वारा बैठे हुए कुछ कहने पर–व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्यगणों को इस विषय पर बोलने के लिए कुछ है नहीं केवल इस मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर उठा रहे हैं। मान्यवर, जो हमारी निजी क्षेत्र की मिलें हैं, उनसे पैमेंट के लिए सरकार द्वारा मिलों पर दबाव बनाया जा रहा है।

मैंने दीपावली से पहले सम्बन्धित मिलों के एम0डी0, जी0एम0 से बैठक की थी। जिसके परिणाम स्वरूप लक्सर की मिल ने 5.4 करोड़ रुपये और इकबालपुर की मिल ने दो करोड़ रु0 दिये हैं और उत्तम मिल ने 1.04 करोड़ रु0 दिये हैं। मान्यवर, एक मिल है जिसने पैमेंट नहीं किया है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, इसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। इसकी आर0सी0 भी काटी गयी है। मान्यवर, हमने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि आप किसानों का भुगतान करें, इस दिशा में सरकार बहुत गम्भीर है।

मान्यवर, जहाँ तक मिलों के चलने का सवाल है चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश किसी की स्थिति अच्छी नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चीनी मिलें हैं, जिनमें से केवल 16 मिलें ही चल पायी हैं, इस तरह से रेश्यो देखा जाय तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। मान्यवर, निगम और को–आपरेटिव क्षेत्र की मिलें इसी माह की दिनाँक 24 से 29 के बीच चला दी जायेंगी। (व्यवधान)

(माननीय काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा बैठे हुए कुछ कहने पर–व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निजी क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है निश्चित रूप से उनको चलाने को भी तिथि फिक्स कर दी जायेगी, लेकिन सरकार का प्रयास है कि यह मिलें सही समय पर चलें, इस महीने के आखिर तक यह सुनिश्चित हो इसीलिए कल उनके साथ बैठक है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार 11 प्रतिशत रिकवरी पर एक रुपया का बोनस देगी? यदि किसी किसान का 10.2 प्रतिशत रिकवरी हो तो उसको भी बोनस मिलेगा या नहीं?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एवरेज में हम नहीं दे रहे हैं। हम बोनस दे रहे हैं। फरवरी में जो गन्ना मिल में जाता है, उस समय उसकी रिकवरी 11 प्रतिशत से अधिक होती है तो उस पर एक रुपया बोनस सरकार देगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष, 2007–2008 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान–

अनुदान संख्या–01–विधान सभा, अनुदान संख्या–03–मंत्रिपरिषद् विभाग, अनुदान संख्या–04–न्याय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–05–निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या–06–राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या–07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ विभाग, अनुदान संख्या–08–आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–10–पुलिस एवं जेल विभाग, अनुदान संख्या–11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या–14–सूचना विभाग, अनुदान संख्या–15–कल्याण योजनाएँ विभाग, अनुदान संख्या–17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, अनुदान संख्या–18–सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–19–ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या–20–सिंचाई एवं बाढ़ विभाग, अनुदान संख्या–21–ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या–22–लोक निर्माण विभाग, अनुदान संख्या–23–उद्योग विभाग, अनुदान संख्या–24–परिवहन विभाग, अनुदान संख्या–25–खाद्य विभाग, अनुदान संख्या–26–पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–27–वन विभाग, अनुदान संख्या–28–पशुपालन विभाग, अनुदान संख्या–29–औद्यानिक विकास विभाग, अनुदान संख्या–30–अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 5815 हजार (अट्ठावन लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 5815 हजार (अट्ठावन लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत रु0 3720 हजार (सैंतीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत रु0 3720 हजार (सैंतीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 6198 हजार (इकसठ लाख अट्ठानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 6198 हजार (इकसठ लाख अट्ठानबे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 13500 हजार (एक करोड़ पैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 13500 हजार (एक करोड़ पैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 116915 हजार (ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 116915 हजार (ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ के अन्तर्गत रु0 1105816 हजार (एक सौ दस करोड़ अट्ठावन लाख सोलह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ के अन्तर्गत रु0 1105816 हजार (एक सौ दस करोड़ अट्ठावन लाख सोलह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 2000 हजार (बीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 2000 हजार (बीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 153700 हजार (पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 153700 हजार (पन्द्रह करोड़ सैंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 1505508 हजार (एक सौ पचास करोड़ पचपन लाख आठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 1505508 हजार (एक सौ पचास करोड़ पचपन लाख आठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 935317 हजार (तिरानबे करोड़ तिरपन लाख सत्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 935317 हजार (तिरानबे करोड़ तिरपन लाख सत्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 200917 हजार (बीस करोड़ नौ लाख सत्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 200917 हजार (बीस करोड़ नौ लाख सत्रह हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रु0 30000 हजार (तीन करोड़) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत रु0 30000 हजार (तीन करोड़) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 62385 हजार (छः करोड़ तेइस लाख पिचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 62385 हजार (छः करोड़ तेइस लाख पिचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 862882 हजार (छियासी करोड़ अट्ठाईस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 862882 हजार (छियासी करोड़ अट्ठाईस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* सहकारिता मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 167700 हजार (सोलह करोड़ सतहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 167700 हजार (सोलह करोड़ सतहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 297383 हजार (उन्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तिरासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 297383 हजार (उन्तीस करोड़ तिहत्तर लाख तिरासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 694136 हजार (उनहत्तर करोड़ इक्तालीस लाख छत्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 694136 हजार (उनहत्तर करोड़ इक्तालीस लाख छत्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 46088 हजार (चार करोड़ साठ लाख अट्ठासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत रु0 46088 हजार (चार करोड़ साठ लाख अट्ठासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 687562 हजार (अड़सठ करोड़ पचहत्तर लाख बासठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 687562 हजार (अड़सठ करोड़ पचहत्तर लाख बासठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 33282 हजार (तीन करोड़ बत्तीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 33282 हजार (तीन करोड़ बत्तीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 302001 हजार (तीस करोड़ बीस लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 302001 हजार (तीस करोड़ बीस लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 33326 हजार (तीन करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 33326 हजार (तीन करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 112401 हजार (ग्यारह करोड़ चौबीस लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 112401 हजार (ग्यारह करोड़ चौबीस लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 386300 हजार (अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 386300 हजार (अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रु0 165919 हजार (सोलह करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन के अन्तर्गत रु0 165919 हजार (सोलह करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रु0 180546 हजार (अठारह करोड़ पाँच लाख छियालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रु0 180546 हजार (अठारह करोड़ पाँच लाख छियालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*महिला सशक्तिकरण राज्य मंत्री (श्रीमती बीना महराना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 463778 हजार (छियालीस करोड़ सैंतीस लाख अठहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 463778 हजार (छियालीस करोड़ सैंतीस लाख अठहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 214296 हजार (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख छियानवे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 214296 हजार (इक्कीस करोड़ बयालीस लाख छियानवे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2007–2008 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जांय।

(प्रतियाँ वितरित की गई।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

(विधेयक संख्या वर्ष, 2007)

31 मार्च, 2008 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) अधिनियम, 2007 कहलायेगा।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2007–2008 के लिये रु0 8789391000 का दिया जाना — 2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्ताम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 8789391000 (रुपये आठ सौ अठहत्तर करोड़ तिरानवे लाख इक्यानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	5815		5815
		पूँजी			
03–	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	3720		3720
		पूँजी			
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	6198		6198
		पूँजी			
05–	निर्वाचन	राजस्व	13500		13500
		पूँजी			
06–	राजस्व एव्र सामान्य प्रशासन	राजस्व	41675		41675
		पूँजी	75240		75240
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	971816		971816
		पूँजी	134000		134000
08–	आबकारी	राजस्व	2000		2000
		पूँजी			
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	73700		73700
		पूँजी	80000		80000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	985606		985606
		पूँजी	519902		519902
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	248925		248925
		पूँजी	686392		686392
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	200917		200917
		पूँजी			
14–	सूचना	राजस्व	30000		30000
		पूँजी			
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	59885		59885
		पूँजी	2500		2500
17–	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	142705		142705
		पूँजी	720177		720177
18–	सहकारिता	राजस्व	34100		34100
		पूँजी	133600		133600
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	138381		138381
		पूँजी	159002		159002
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	62286		62286
		पूँजी	631850		631850

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
21–	ऊर्जा	राजस्व	26089		26089
		पूँजी	19999		19999
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	24300		24300
		पूँजी	663262		663262
23–	उद्योग	राजस्व	23227		23227
		पूँजी	10055		10055
24–	परिवहन	राजस्व	17001		17001
		पूँजी	285000		285000
25–	खाद्य	राजस्व	33326		33326
		पूँजी			
26–	पर्यटन	राजस्व	22401		22401
		पूँजी	90000		90000
27–	वन	राजस्व	329900		329900
		पूँजी	56400		56400
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	144669		144669
		पूँजी	21250		21250
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	120546		120546
		पूँजी	60000		60000
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	237985		237985
		पूँजी	225793		225793
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	110396		110396
		पूँजी	103900		103900
	योग	राजस्व	4111069		4111069
		पूँजी	4678322		4678322
	महायोग		8789391		8789391

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनपुर बावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने सम्बन्धी संकल्प

*श्री खजान दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर की तरह जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय।"

श्री खजान दास–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पड़ने वाले रवांई–जौनपुर क्षेत्र को जौनसार बावर की तरह ....

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल 04 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से हर्षिल मुखवा जांगना मोटर मार्ग–उत्तरकाशी का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, दिनांक 27–11–2007 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही अपराह्न 05 बजकर 32 मिनट पर दिनाँक 27 नवम्बर, 2007 को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांक: 23 नवम्बर, 2007

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–7 पर)

(देखिए अल्पसूचित प्रश्न सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–7 पर)

संख्या–1165/XIII/2005–1(71)/2005

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तरांचल देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनाँकः 4 अगस्त, 2005

विषयः– कृषि विभाग, उत्तरांचल के निदेशालय का मुख्यालय विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में आपको अवगत कराना है कि कृषि विभाग के संशोधित पुनर्गठन प्रस्ताव में लिये गये निर्णय के अनुरूप पूर्व की भांति गढ़वाल मण्डल के कार्यों के निस्तारण हेतु अपर निदेशक (कृषि) के कार्यालय को पौड़ी में यथावत रखा गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कृषि विभाग के गढ़वाल मण्डल के कार्यों का निस्तारण अपर निदेशक, कृषि के पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नंदा की चौकी, प्रेमनगर–देहरादून में स्थित होगा एवं तद्नुरूप ही संचालित होता रहेगा।

3. निदेशालय के मुख्यालय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–975(1)/XIII/2005–1(71)/2005, दिनाँक 19 जुलाई, 2005 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

ओम प्रकाश,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 वि0स0/39–25–04–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।